अध्याय 8

कृषि और खाद्य प्रबंधन

भारतीय मानसून के ऊपर मंडराते एल नीनो की छाया के कारण कृषि उत्पादन पर इसके असर और उसके परिणामत: खाद्य उत्पादों के मूल्यों पर संभावित प्रभाव के बारे में चिंतित होना स्वाभाविक ही है। महत्वपूर्ण यह है कि खाद्यान्न व तिलहन के रिकार्ड उत्पादन से भारतीय कृषि विगत दशक के दौरान और अधिक सुदृढ़ हुई है। इसके परिणामत: बढ़ी हुई खरीद से भण्डारगृहों में खाद्यान्न के स्टॉक में भारी बढ़ोत्तरी हुई है। भारत चावल, गेहूं, दूध, फलों व सब्जियों में विश्व के शीर्ष उत्पादकों में से एक है। यह देखते हुए कि विश्वभर में अल्पपोषित लोगों में से एक-चौथाई भारत में रहते हैं और चूंकि, औसतन लगभग आधे गृहस्थों के कुल व्यय का लगभग आधा भोजन पर खर्च होता है, इसलिए गरीबी और कुपोषण को समाप्त करने के लिए खेत-से-थाली तक की मूल्य श्रृंखला की दक्षता में बढ़ोत्तरी करना महत्वपूर्ण है।

कृषि क्षेत्र का सिंहावलोकन

8.2 विकास के सहवर्ती के रूप में, सकल घरेलू उत्पाद (सघउ) में कृषि और संबद्ध (यहां इसे इसके बाद कृषि कहा गया है) क्षेत्र में 11वीं योजना के दौरान 15.2% और इसके बाद 2013-14 में 13.9% (अनंतिम अनुमान - पीई) तक की गिरावट आई है। जबकि यह अभी भी कुल रोजगार का लगभग 54.6% है (जनगणना 2011), खेतिहरों की कुल संख्या में 127.3 मिलियन (जनगणना 2001) से 118.7 मिलियन (जनगणना 2011) तक की कमी अभूतपूर्व है। यह खेती से खेती-भिन्न रोजगार की ओर पलायन का संकेत है जिससे हाल के वर्षों में वास्तविक खेती पारिश्रमिक बढ़कर 7 प्रतिशत वार्षिक से अधिक हो गया है।

बागवानी तथा पशुधन के बढ़ते अंशदान से समुत्थानशील कृषि स्पष्ट दिखाई दे रही है।

8.3 कृषि के लचीलेपन से यह स्पष्ट है कि इस क्षेत्र में 2002-03 में ऋणात्मक वृद्धि थी और 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007-08 से 2011-12) के दौरान 4.1% की अदभुत औसत वृद्धि दर दर्ज की गई है। 2013-14 के अनंतिम अनुमान के अनुसार, 12वीं योजना अवधि के प्रथम दो वर्षों के दौरान कृषि सघउ में क्रमश: 1.4% और 4.7% की वृद्धि दर रही है (सारणी 8.1)

8.4 इसके अलावा, कृषि के संघटन में संरचनात्मक परिवर्तन देखा जा सकता है जो बागवानी, पशुधन और मत्स्यपालन में वैविध्य प्रभाव को दर्शाता है। 2012-13 में बागवानी क्षेत्र ने कृषि सघउ में 30.4 का योगदान किया जबकि पशुधन क्षेत्र ने कुल सघउ में 4.1% से अधिक का योगदान दिया।

सारणी 8.1 : कृषि क्षेत्र: मुख्य संकेतक (2004-05 की कीमतों पर प्रतिशत)

क्र. सं.	मद	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
1.	कृषि स.घ.उ. में वृद्धि	0.8	8.6	5	1.4	4.7*
	कुल स.घ.उ. में हिस्सा	14.6	14.6	14.4	13.9	13.9*
	जिसमें, कृषि	12.3	12.4	12.3	11.8	उ.न.
2.	कुल जीसीएफ में हिस्सा	7.3	6.3	7.0	7.1	उ.न.
	जिसमें, कृषि	6.7	5.8	6.5	6.5	
3.	कृषि स.घ.उ. के प्रतिशत के रूप में जीसीएफ जिसमें, निजी क्षेत्र	20.1	18.5	20.8	21.2	उ.न.
		16.7	15.7	18.0	18.1	
4.	कुल निर्यात के प्रतिशत के रूप में कृषि निर्यात (रोपण व समुद्री उत्पाद सहित)	8.2	8.0	10.1	11.8	11.9(पी)

स्रोत: केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) तथा वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएण्डएस

टिप्पणी: स.घ.उ. के त्रैमासिक आंकड़े, 30 मई 2014 के अनुसार, उ.न.: उपलबध नहीं, जीसीएफ: सकल पूंजी निरुपण, पी: अनंतिम

8.5 कृषि राज्य का विषय होने के कारण, कृषि उत्पादों व उत्पादन में बढ़ोत्तरी, अप्रयुक्त क्षमता का दोहन करने और खेतिहर समुदाय की आय में बढ़ोत्तरी का मुख्य दायित्व राज्य सरकार का है। उनके प्रयासों में कई केन्द्र प्रायोजित व केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें भी मदद करती हैं।

क्षेत्र उत्पादन और उत्पादकता

8.6 2013-14 में क्षेत्र और उत्पादन में काफी प्रगति दर्ज की गई है। खाद्यान्न के अधीन क्षेत्रफल में लगभग 126.2 मिलियन तक की वृद्धि हुई है; और तिलहन के अंतर्गत 28 मिलियन है. की बढ़ोत्तरी हुई है)। खाद्यान्न में 264.4 मिलियन टन (एम.टी.) और तिलहन में 32.4 मिलियन टन का रिकार्ड उत्पादन हुआ है।

खाद्यान्नों एवं तिलहनों का रिकार्ड उत्पादन अनुमानित है।

सारणी 8.2 : क्षेत्र, 2013-14 में उत्पादन तथा प्रमुख फसलों की पैदावार प्रतिशत में; 2012-13 के मुकाबले

(क्षेत्र: मि.हे.; उत्पादन: मिलियन टन; उपज: किग्रा/हे.)

समूह/वस्तु	क्षेत्र		उत्पादन		उपज	
खाद्यान्न [क]	126.2	*(4.47)*	264.4	*(2.88)*	2095	*(-1.55)*
चावल	43.9	*(2.57)*	106.3	*(1.05)*	2419	*(-1.75)*
गेहूं	31.3	*(4.33)*	95.8	*(2.46)*	3059	*(-1.86)*
मोटे आनाज	25.5	*(2.98)*	42.7	*(6.64)*	1672	*(2.83)*
मक्का	9.3	*(6.90)*	24.2	*(8.52)*	2602	*(1.40)*
बाजरा	7.9	*(8.22)*	9.2	*(5.75)*	1161	*(-3.09)*
दालें	25.4	*(9.01)*	19.6	*(7.10)*	770	*(-2.41)*
चना	10.2	*(20.00)*	9.9	*(12.50)*	974	*(-5.98)*
तूर	3.9	*(0.00)*	3.4	*(13.33)*	857	*(10.44)*
तिलहन	28.2	*(6.42)*	32.4	*(4.85)*	1149	*(-1.63)*
मूंगफली	5.5	*(17.02)*	9.5	*(102.10)*	1723	*(73.17)*
रैपसीड एवं सरसो	6.5	*(1.56)*	7.8	*(-2.50)*	1208	*(-4.28)*
कपास[ख]	11.7	*(-2.50)*	36.5	*(6.73)*	529	*(8.85)*
गन्ना	5.0	*(0.00)*	348	*(2.11)*	70	*(0.00)*

स्रोत: आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग (डीएसी)।

टिप्पणी: *तीसरे अग्रिम अनुमान; [क]-इसमें शामिल हैं: अनाज, मोटे अनाज तथा दालें; [ख]-170 किलो ग्राम प्रत्येक की मिलियन गाठें; कोष्ठक में दिए गए आंकड़े 2012-13 की तुलना में परिवर्तन को प्रतिशत में दर्शाता है।

8.7 खाद्यान्न उत्पादन में 20 मिलियन टन तक की बढ़ोत्तरी के लक्ष्य को हासिल करने के उपरांत, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएसएसएम) के तहत 2016-17 तक अतिरिक्त 25 मिलियन टन खाद्यान्न; 10 मिलियन टन चावल, 8 मिलियन टन गेहूं, 4 मिलियन टन दालें और 3 मिलियन टन मोटे अनाज का उत्पादन करने के नए लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। इसमें किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के

ए-क्षेत्र की वृद्धि दर, पी-उत्पादन की वृद्धि दर,
वाई- उपज की वृद्धि दर (% वार्षिक)

फसल	(आधार: टीई 1981-82=100)						(आधार: टीई 1993-94=100)		
	1980-81 से 1989-90			1990-91 से 1999-2000			2000-01 से 2013-14*		
	ए	पी	वाई	ए	पी	वाई	ए	पी	वाई
चावल	0.41	3.62	3.19	0.68	2.02	1.34	0.00	1.82	1.82
गेहूं	0.46	3.57	3.10	1.72	3.57	1.83	1.35	2.65	1.29
मोटा अनाज	-1.34	0.40	1.62	-2.12	-0.02	1.82	0.25	2.96	2.70
दालें	-0.09	1.52	1.61	-0.60	0.59	0.93	1.59	3.72	2.10
गन्ना	1.44	2.70	1.24	-0.07	2.73	1.05	1.34	2.10	0.75
तिलहन	1.51	5.20	2.43	0.86	1.63	1.15	2.35	4.71	2.31
कपास	-1.25	2.80	4.10	2.71	2.29	-0.41	3.22	13.53	9.99

स्रोत: कृषि एवं सहकारिता विभाग।

टिप्पणी: दूसरे एई के अनुसार, मूंगफली, कैस्टर सीड, सीसमम, रैपसीड; तथा सरसों, अलसी, नाइजर सीड; सैफ्लावर, सनफ्लावर, तथा सोयाबीन।
टीई: त्रैवार्षिक समाप्ति।

सारणी 8.3 : 1980-81 से 1989-90, 1990-91 से 1999-2000 के दौरान क्षेत्र, उत्पादन की चक्रीय वृद्धि दर तथा प्रमुख फसलों की उपज (आधार टीई 1981-82=100) और 2000-01 से 2013-14 के लिए (आधार टीई 1993-94-100)

माध्यम से फसल प्रणालियों और छोटे व सीमांत किसानों व मूल्य श्रृंखला के प्रजन व बाजार से संपर्क प्रदान करना है। 12वीं योजना के दौरान राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के तहत उत्पादन में बढ़ोत्तरी (35%), अवसंरचना व आस्तियों में (35%) उप स्कीमों में (20%) और 10% फ्लैक्सी फंड के माध्यम से की जाएगी। 2013-14 में 1000 करोड़ रु. के आवंटन वाली एक प्रमुख उप स्कीम ''ब्रिन्गिंग ग्रीन रिवाल्यूशन टू ईस्टर्न इंडिया'', से 2011-12 की तुलना में 2012-13 में कार्यान्वयन करने वाले राज्यों में धान उत्पादन में 7% तक की वृद्धि हुई

8.8 कृषि भूमि के विस्तार की सीमाओं को देखते हुए, उपज में दीर्घकालिक वृद्धि की कुंजी उपज स्तरों में सुधार करना है तथापि, अधिकांश प्रमुख फसलों के मामले में, 2013-14 में उच्चतर पैदावार उत्पादकता की अपेक्षा खेती के क्षेत्र में विस्तार कर हासिल की गई। मूंगफली की पैदावार में सर्वाधिक उछाल देखने में आया जबकि कपास व तूर के मामले में पैदावार में बढ़ोत्तरी पर्याप्त रही, चूंकि ये गिरते/स्थिर खेती क्षेत्र के बावजूद हासिल हुई है (सारणी 8.2)। तथापि 2000-01 से 2013-14 के दौरान सारणी 8.2 के मामले में क्षेत्र, उत्पादन व उत्पादकता संयुक्त वृद्धि दर मोटे अनाजों, दालों, तिलहनों और कपास के लिए पिछले दो दशकों की अपेक्षा उच्चतर रही जबकि इनमें चावल व गेहूं में काफी अधिक गिरावट आई है (सारणी 8.3)

8.9 तिलहन, दालों, आयल पाम और बाजरा की एकीकृत स्कीम (आईएसओपीओएम) के परिणामत: विस्तार व उपज बढ़ोत्तरी के माध्यम से 2013-14 (तृतीय एई) में दालों (19.6 एम.टी.), तिलहन (32.4 एम.टी.) और बाजरा (24.2 एम.टी.) का रिकार्ड उत्पादन हुआ। 12वीं योजना में शुरू किए गए तिलहन व ऑयल पाम तकनीक मिशन (टीएमओएण्डओपी) का लक्ष्य कुछ केन्द्रीय व एकीकृत हस्तक्षेपों के जरिये खाद्य तिलहन/तेल के घरेलू उत्पादन में बढ़ोत्तरी करना है जो घरेलू मांग से 50% कम है। विगत 5 वर्षों में क्षेत्र, उत्पादन, और उपज के आंकड़े (परिशिष्ट 1.9 से 1.15) भारतीय कृषि की निरंतर मजबूती की पुष्टि करते हैं।

जलवायु परिवर्तन और इसका प्रभाव

उच्च तापमान और उच्च वर्षापात में विभिन्नता के साथ-साथ निम्न औसत वर्षापात की घटनाएं वर्ष दर वर्ष बढ़ रही हैं।

8.10 खरीफ मौसम में कुल उत्पादित खाद्य और तिलहन के 60% और कुल कृषि क्षेत्र के तहत महज 35% सिंचित होने के बावजूद कृषि अभी भी काफी हद तक वर्षा पर निर्भर है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने कई योजनावधियों में तापमान में काफी गर्मी और निम्नतम औसत और अधिक वर्षा दर्ज की है। 11वीं पंचवर्षी योजनावधि के पांच में से 3 वर्षों में विगत पंद्रह वर्षों

बॉक्स 8.1 : अल नीनो (लिटिल ब्वाय) की पहेली और भारतीय मानसून

अल नीनो तब होता है जब प्रशांत महासागर का सतत् तापमान कुछ माह तक लगातार औसत से अधिक रहता है जो विश्व के कई हिस्सों में मौसम पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है औसतन, यह प्रत्येक 3-5 वर्ष में घटता है, प्रायः, जून-अगस्त के दौरान बनता है व सामान्यतः 9-12 माह तक रहता है। भारत में यह काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका प्रभाव अगस्त के आसपास, दक्षिणी-पश्चिमी मानसून के दौरान अनुभव किया जाता है। जबकि भारत में अधिकांश सूखे अलनीनो से मेल खाते हैं, इसका व्युत्क्रम संबंध इतना प्रबल नहीं है। जबकि भारत में अल नीनो के पूर्व 10 वर्ष में से केवल 6 में वर्षापात में 10% या उससे अधिक की कमी हुई थी, 1997 में जब अलनीनो का प्रभाव सबसे बुरा था, भारत में वर्षापात सामान्य से 2% अधिक था।

रबी उत्पादन में परिवर्तन

गत दशक में अलनीनों 2002, 2004, 2006 व 2009 में हुआ। जबकि केवल 2002-03 ही एक ऐसा वर्ष था जब भारत में कृषि सहबद्ध क्षेत्र में वृद्धि दर नकारात्मक रही और औसत वर्षापात में सामान्य की अपेक्षा 20% की गिरावट आई, 2009-10 में लगभग 40 वर्षों का सबसे विकट सूखा पड़ा, कुल वर्षापात में सामान्य से 23% की गिरावट थी। अलनीनों की विगत चार घटनाओं के दौरान खरीफ और रबी के उत्पादन में परिवर्तन की तुलना से पता चलता है कि यह प्रभाव खरीफ मौसम पर अधिक था (आकृति 1)

इस मानसून मौसम के लिए विस्तारित रेंज पूर्वानुमान प्रणाली (आईएमडी द्वारा प्रदत्त ईआरएफएस) मौसमी पूर्वानुमान केंद्रीय, दक्षिणी व उत्तर-पश्चिम भारत में वर्षापात क्षेत्रों में निम्नतर वर्षापात की संभाव्यता की ओर इंगित करता है, जिससे चावल, सोयाबीन, कपास, बाजरा, ज्वार, मूंगफली व गन्ने की फसल प्रभावित हो सकती है।

पांचवें दक्षिण एशियाई जलवायु आउटलुक फोरम (एसएएससीओएफ-5) सत्र में दक्षिणी पेनिनसुला व केंद्रीय भारत में मुख्य रूप से मानसून में वर्षापात में कमी का पूर्वानुमान था।

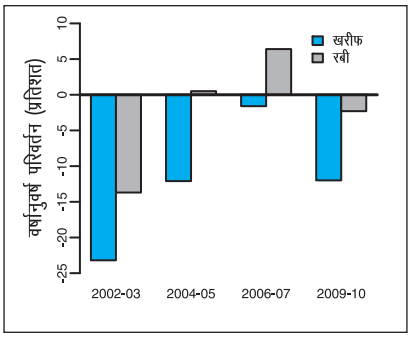

चित्र-1 : 2002-03, 2004-05, 2006-07 तथा पिछले वर्ष की तुलना में 2009-10 में खरीफ तथा रबी उत्पादन (खाद्यान्न एवं तिलहन) परिवर्तन खरीफ उत्पादन में परिवर्तन (प्रतिशत)

स्रोतः आईएमडी, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि संबंधी आंकड़े एक दृष्टि में; 2013

में 5 वर्ष की तुलना में दीर्घकालिक औसत (एलपीए) में वार्षिक वर्षापात 95% से कम रहा था (12वीं पंचवर्षीय योजना, खण्ड II : 2-3)। 1951-2000 की अवधि के लिए पूरे देश भर के लिए मौसमी वर्षापात 89 सेमी. है।

8.11 भारत में कुल वार्षिक वर्षापात का लगभग 75% दक्षिण पश्चिम मानसून (जून से सितंबर) में होता है और इस प्रकार यह कृषि निष्पादन को काफी अधिक प्रभावित करता है। 2013 में देशभर में वास्तविक मौसमी वर्षापात एलपीए का 106% था। आईएमडी द्वारा 9 जून को जारी दक्षिण पश्चिम मानसून मौसम हेतु द्वितीय लंबी रेंज के वर्षापात को इंगित करता है कि मानसून में वर्षापात एलपीए का 93% रहने की संभावना है (मॉडल त्रुटि ± 4%) और सामान्य/कम वर्षापात की संभाव्यता 71% और अलनीनों की घटना 70% है। बॉक्स 8.1 अलनीनो व भारतीय मानसून के बीच संबंध को रेखांकित करता है।

8.12 वर्षापात के आंकड़े अलनीनों की घटना की संभावना का जायजा लेने में सहायता कर सकते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि 1 जून से कम/अत्यल्प संचयी वर्षापात वाले भागों की संख्या पूर्व 5 वर्षों में (-) 44% वर्षापात की अपेक्षा इस वर्ष अधिक है। इसके अलावा, इस अवधि में 80% जिलों में कम वर्षापात/शून्य वर्षापात था (सारणी 8.4)।

8.13 केन्द्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) की निगरानी वाले जलाशय की क्षमता जल उपलब्धता की बेहतर स्थिति प्रतिबिंबित करते हैं। 12.6.2014 की स्थिति के अनुसार, 154.88 बिलियन क्यूबिक मीटर (बीसीएम) के पूर्वी जलाशय स्तर क्षमता के साथ देशभर में 85 महत्वपूर्ण जलाशयों में यह कुल जलाशय क्षमता का लगभग 73% अर्थात् 39,320 बीसीएम (एआरएल पर भंडार क्षमता का 25%) था। यह विगत वर्ष के भंडार की स्थिति की तुलना में 20% और गत 10 वर्ष

श्रेणी	11.6.2014	12.6.2013	13.6.2012	08.6.2011	09.6.2010	10.6.2009
सब डिवीजन की संख्या						
अधिक/सामान्य	8	30	23	3	11	2
कम/अल्प	28	6	8	19	19	18
अनावृष्टि	0	0	5	14	6	16
मानसून की विदाई (%)	-44	23	-42	17	-6	-39
जिलों का प्रतिशत वितरण						
अधिक/सामान्य	20	62	15	48	33	25
कम/अल्प	50	32	63	34	39	47
अनावृष्टि	30	6	22	18	28	28

सारणी 8.4 : सब डिवीजनों एवं जिलों में श्रेणीवार वर्षा एवं अखिल भारतीय वर्षा समाप्ति 2009-2014 (1 जून से संचयी वर्षा)

स्रोत: आईएमडी, साप्ताहिक रिपोर्ट दिनांक 11.06.2014
टिप्पणी: अधिशेष: +19% से -19%; कम: 20% से -59%; अल्प: -60% से -99%; अनावृष्टि: 100%

के औसत की अपेक्षा 17% अधिक था। विगत में 9 की अपेक्षा केवल 2 जलाशयों में कोई लाइव भंडार नहीं है।

एल निनो घटना के कारण दक्षिण पश्चिम मानसून की 70 प्रतिशत की कमी को देखते हुए उसके समाधान के लिए आकस्मिक उपाय किए गए हैं।

8.14 अल नीनों की घटना महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक, झारखण्ड व बिहार में कम वर्षापात से संबद्ध है। अल नीनों के बारे में आईएमडी के पूर्वानुमान की पृष्ठभूमि में, मानसून के विलंब से आगमन के साथ असमान वितरण से उपज की वृद्धि व विकास, विशेषतया खरीफ की झलें तथा तिलहन, प्रभावित हो सकता है और उपज में हानि की सही-सही मात्रा अवधि व दबाव की तीव्रता पर निर्भर करता है।

8.15 सरकार ने लगभग 500 जिलों में आकस्मिक उपायों की व्यवस्था की थी। इसके अलावा, राष्ट्रीय स्थायी कृषि मिशन (एनएमएसए), राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के आठ मिशनों में से एक है जिनका फोकस समुदाय आधारित विधि के माध्यम से साझा स्रोतों के विवेकपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने पर है। वर्षापोषित क्षेत्र विकास कार्यक्रम (आरएडीपी), जिनमें वर्षापोषित क्षेत्रों में किसानों की आय में बढ़ोत्तरी के लिए सर्वांगीण एप्रोच अपनाई जाती है, को 2013-14 में 22 राज्यों में लागू किया गया था और 12वीं योजना के दौरान इसका काफी प्रचार किया जाएगा।

8.16 अन्य पहलों में कार्यनीतिक अनुसंधान व तकनीक निदर्शन, क्षमता निर्माण और प्रायोजित/प्रतिस्पर्धी अनुदानों के माध्यम से भारतीय कृषि की जलवायु परिवर्तन के प्रति लोचशीलता व संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के अधीन नेशनल इनिशिएटिव ऑन क्लाइमेट रिसाइलेस एग्रीकल्चर (एनआईसीआरए) शामिल है। पृथ्वी प्रणाली विज्ञान संगठन (ईएसएसओ) 600 जिलों के लिए 12 भाषाओं में कृषि मौसम विज्ञानी परामर्श जारी करता है। जिसके वर्तमान में 4.8 मिलियन किसानों से अधिक सबसक्राइबर्स है। जबकि ब्लॉक स्तर पर इन परामर्शी सेवाओं के लिए ग्रामीण कृषि मौसम सेवा शुरू की गई है।

वृद्धि के प्रेरक

8.17 भारतीय कृषि का एकमात्र लक्ष्य छोटे और सीमांत किसानों की प्रमुखता रहा है (2010-11 में 1.16 हे. तथापि, व्यावहारिक अध्ययन दर्शाते हैं कि उपज में बढोत्तरी के लिए जोत भूमि के छोटे आकार कोई बाधा नहीं है, जिसका निर्धारण, केंद्रित अनुसंधान व निवेश, आधुनिक इनपुट तक पहुंच उपयुक्त तकनीक और समग्र रूप में अभिनव विपणन प्रणालियां, और उपज का कुशलतापूर्वक व प्रभावी ढंग से बिक्री द्वारा होता है।

सकल पूंजी निर्माण

8.18 कृषि सहबद्ध क्षेत्र की मजबूती का श्रेय जीसीएफ (सरकारी व निजी दोनों) के स्थिर विकास, 2007-08 में सघउ के 16.1 प्रतिशत से 2012-13 में 21.2 प्रतिशत (2004-05 के मूल्य) में निरंतर बढोत्तरी को जाता है। तथापि, पब्लिक व्यय (जिसमें पब्लिक निवेश व इनपुट सब्सिडी शामिल है) कृषि क्षेत्र के कुल जीसीएफ में अपना हिस्सा निजी क्षेत्र का अंतरित कर रहा है और 2012-13 में यह 14.7% था। कृषि क्षेत्र से निजी क्षेत्र के कुल सघउ में शेयर कृषि सघउ के प्रतिशत के रूप में भी निजी निवेश बढ़ रहा है और 2012-13 में 18.1 प्रतिशत था (सारणी 8.1)। पब्लिक जीसीएफ की गुणवत्ता, जो अधिकांशत सब्सिडी में जाती है, चिंता का विषय है। पब्लिक जीसीएफ में सर्वाधिक बढ़ोत्तरी श्रम-बचाने वाली मशीनों जैसे सिंचाई व जल बचाने वाले उपकरणों में थी (12वीं पंचवर्षीय योजना, खण्ड II: 8), जो स्पष्ट तौर पर घटते ग्रामीण श्रमबल व बढ़ते वास्तविक पारिश्रमिक का परिणाम है।

कृषि क्षेत्र में 85 प्रतिशत से अधिक निवेश निजी क्षेत्र द्वारा किया गया है।

कृषि अनुसंधान व शिक्षा

8.19 कृषि में स्थायीवत वृद्धि को बरकरार रखने के लिए सीमित प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण व प्रबंधन के लिए नवप्रवर्तन तकनीकों का विकास करने में सतत् अनुसंधान अपेक्षित है। आईसीएआर ने विशेष लक्षणों वाली फसल की नई किस्में तैयार की हैं जिससे लक्षित कृषि पारिस्थितिकीय हेतु समान उपज उत्पादन व संरक्षा वाली तकनीकों के अलावा विभिन्न जैविक व गैर-जैविक दबावों के प्रति सहनशीलता/प्रतिरोधक क्षमता के साथ-साथ उपज व गुणवत्ता में सुधार होता है। विभिन्न कृषि पारिस्थितिकीय के लिए विभिन्न फसलों की 104 किस्में जारी की गई। गुणवत्ता वाले बीज किसानों को मुहैया कराने के लिए विभिन्न फील्ड फसलों के संस्तुत 11835 टन ब्रीड बीजों का उत्पादन किया गया था। उन्नत किस्मों को अपनाने व उपज प्रबंधन तकनीकों के परिणामत: हाल के वर्षों में अनाज, दालों व अन्य उपजों में रिकार्ड उत्पादन हुआ है।

बीज

8.20 उपज की 20-25 प्रतिशत पैदावार बीज की गुणवत्ता की वजह से होती है। चूंकि क्रास-परागकणित फसलों में संकर बीज अधिक उपज देते है। अत: उनके उत्पादन पर काफी अधिक जोर दिया गया; प्रमाणिक/गुणवत्तापरक बीज, कुल प्रयुक्त बीजों का लगभग 30 प्रतिशत होते हैं, हालांकि फसलों व राज्यों में काफी भिन्नताएं हैं। क्वालिटी बीजों के उत्पादन व वितरण (डीपीक्यूएस) स्कीम हेतु केन्द्रीय क्षेत्र की विकास व अवसंरचना सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के तहत प्रमाणित बीजों की उपलब्धता 2012-13 में बढ़कर 328.58 लाख क्विंटल हो गई है जबकि आवश्यकता 315.18 लाख क्विंटल की थी।

कृषि संबंधी अनुसंधान से प्रजनक बीजों की नई किस्में सामने आई हैं। इस नीति का जोर बीज बैंक तैयार करने पर है।

8.21 संशोधित नई बीज विकास नीति (एनपीएसडी) के तहत नए नीतिगत उपायों में स्वचालित मार्ग के तहत 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन बीज स्कीम में नई किस्मों को शामिल करने की प्रक्रिया का सरलीकरण शामिल है। बीज बैंक के सृजन पर भी जोर दिया गया है। बीज श्रृंखला के लिए अच्छी किस्मों और प्रत्येक स्तर पर बीज उत्पादन के लिए उत्तरदायी एजेंसियों की पहचान के लिए 2013-14 में सभी राज्यों के लिए 2016-17 तक की अवधि हेतु बीज रोलिंग योजना की व्यवस्था है।

उर्वरक

8.22 कृषि उत्पादन को बढाने में ऊर्वरकों के बढते उपयोग ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यूरिया जो नाइट्रोजन का मुख्य स्रोत है, कुल उर्वरक उपभोग का लगभग

50 प्रतिशत है। भारत की यूरिया की लगभग 80% आवश्यकता देशी उत्पादन से पूरी होती है, लेकिन पोटेशियम और फॉसफेट की ऊर्वरक जरूरतों के लिए अधिकांशत: निर्यात पर ही निर्भरता है।

8.23 2002-03 की नियत फ्रीजिंग दरों के कारण विद्यमान यूरिया इकाइयों के कम वसूली के समाधान के लिए 2 अप्रैल 2014 से विधमान यूरिया इकाइयों के लिए परिशोधित नई मूल्य स्कीम (एनपीएस-III) अधिसूचित की गई है। इसमें रु॰ 2300 प्रति मीट्रिक टन की न्यूनतम नियत लागत का अनुदान अथवा 2012-13 के दौरान प्रचलित वास्तविक नियत लाभ, जो भी कम हो, प्रदान किया जाता है। इसके अलावा, ऐसी कुशल इकाइयों की सुरक्षा के लिए रु॰ 150 प्रति मीट्रिक टन की विशेष क्षतिपूर्ति का प्रावधान है, जिन्होंने गैस में परिवर्तन किया है और जो 30 से अधिक वर्ष पुरानी हैं।

8.24 गैस, की उपलब्धता की सीमाओं के मद्देनजर, जो नाइट्रोजन उर्वरक के उत्पादन हेतु पसंदीदा फीडस्टॉक है और पी तथा के उर्वरकों के लिए आयात पर निर्भरता होने के कारण भारतीय कंपनियों को वापसी खरीद की व्यवस्था वाली उत्पादन सेवाओं और भारत में उर्वरक की आपूर्ति हेतु दीर्घकालिक करार करने व उर्वरक लागतों के लिए विदेश में संयुक्त उपक्रम (जेवी) स्थापित करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। भारतीय निजी/सहकारी-क्षेत्र के संगठनों द्वारा 6 संयुक्त उपक्रम स्थापित किए गए हैं।

8.25 2010 में उत्पाद आधारित सब्सिडी (पीबीएस) से पोषण आधारित सब्सिडी (एनबीएस)की ओर झुकाव का उद्देश्य मृदा नमी की विशिष्ट दशाओं व फसल की जरूरत के आधार पर उर्वरकों के प्रयोग से एनपीके पोषण असंतुलन व गौण व सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को दूर करना था। 2009-10 और 2012-13 (सारणी 8.5) के बीच एनपीके उर्वरकों के उत्पादन, आयात व उपयोग की तुलना दर्शाती है कि 2010 में एनबीएस के रोल आउट से एन यूरिया की उपलब्धता और इसके उपयोग की और झुकाव है (परिशिष्ट 1.19)।

सारणी 8.5 : उर्वरक की उपलब्धता (उत्पादन एवं आयात) एवं खपत

(हजार टन पोषक)

	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
नाइट्रोजनस उर्वरक (एन)					
उपलब्धता	15347	16650	17499	16995	16258
खपत	15580	16558	17300	16820	उ.न.
फास्फेटिक उर्वरक (पी)					
उपलब्धता	7077	8025	8531	6338	5302
खपत	7274	8050	7914	6653	उ.न.
पौटैसिक उर्वरक (के)					
आयात	2945	4069	3335	1559	1926
खपत	3632	3514	2576	2061	उ.न.
सभी उर्वरक (एनपीके)					
उपलब्धता	25369	28744	29365	24892	23526
खपत	26486	28122	27790	25536	उ.न.

स्रोत: उर्वरक विभाग।

8.26 स्ट्रेट उर्वरकों के उच्चतर उपयोग व पोषक तत्वों के अजीबो गरीब उपयोग के लिए संभवत: सब्सिडीकृत उर्वरकों का मूल्यन भी उत्तरदायी है (12वीं योजना हेतु उर्वरक उद्योग संबंधी कार्य समूह की रिपोर्ट: 8)। जबकि एनपीके का अनुपात 2009-10 में राष्ट्रीय संस्तुत 4:2:1 के अनुपात से अधिक था, यह स्थिति नाटकीय रूप से खराब हुई है (सारणी 8.6)। एनपीके के गलत उपयोग से मृदा में पोषक तत्वों का असंतुलन हुआ है, विशेषकर हरियाणा व पंजाब में, जिससे इन राज्यों में मृदा की गुणवत्ता में ह्रास हुआ है व भू-उत्पादकता में गिरावट आई है।

आर्थिक सहायता प्राप्त उर्वरकों की कीमतों की वजह से पोषाहार का उपयोग कम हो गया है।

	2009-10	2010-11	2012-13
बिहार	5.3 : 1.5 : 1	5.8 : 1.9 : 1	12.3 : 3.6 : 1
हरियाणा	15.9 : 5.5 : 1	20.4 : 6 : 1	61.4 : 18.7 : 1
पंजाब	18.4 : 5.9 : 1	19.1 : 5.4 : 1	61.9 : 19.3 : 1
अखिल भारत	4.3 : 2 : 1	5.0 : 2.4 : 1	8.2 : 3.2 : 1

सारणी 8.6 : एनपीके अनुपात अखिल भारतीय, बिहार, पंजाब तथा हरियाणा (2009-10 तथा 2012-13)

स्रोत: कृषि आंकड़े एक दृष्टि में 2013; 12वीं योजना, योजना आयोग के लिए उर्वरक उद्योग विषयक कार्यदल की रिपोर्ट

टिप्पणी: राज्यवार उर्वरक खपत आंकड़ों से परिकलित

8.27 एनबीएस को रॉल-आउट व्यर्थ रहा क्योंकि यूरिया सकी परिधि से बाहर हो गई (12वीं पंचवर्षीय योजना खण्ड II: 14), जिससे पोषक तत्वों के संतुलित उपयोग का उद्देश्य पूरा नहीं हो सका। जबकि 2010-11 की तुलना में 2012-13 में यूरिया उपयोग में कुल उपयोग 59% से बढ़कर 66% हो गया है। इसी अवधि के दौरान उर्वरक का प्रति हैक्टेयर उपयोग 140 किग्रा॰ से घटकर 128 किग्रा॰ रह गया है। कृषि उपज में वर्तमान रूझानों से पता चलता है कि उर्वरकों के उपयोग के सापेक्ष मृदा की उत्पादकता आंशिक रूप से घट रही है।

संसाधनों के दुरुपयोग एवं इष्टतम से कम उपयोग के लिए एनबीएस की समीक्षा किए जाने की जरूरत है।

8.28 एनबीएस के तहत, मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार किसान पी और के उर्वरकों की कीमत का 61 से 75% चुकाते हैं और शेष केन्द्र द्वारा सब्सिडीकृत है। 2013-14 में उर्वरक सब्सिडी 67,971 करोड़ रु॰ थी (संशोधित अनुमान सं.अ.) जो 2009-10 की तुलना में 11% अधिक है, जबकि उर्वरक सब्सिडी की मात्रा बढ़ रही है। 2010 से स.घ.उ. के प्रतिशत के रूप में सब्सिडी में गिरावट है (आकृति 8.1)

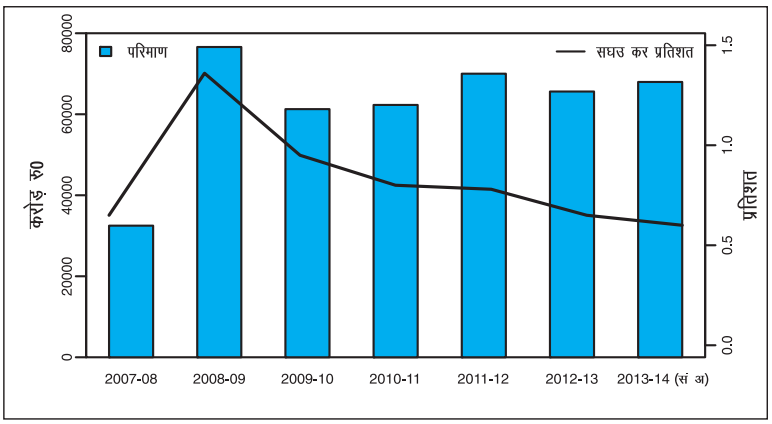

चित्र 8.1 : उर्वरक सब्सिडी: परिमाण तथा स. घ.उ. (वर्तमान कीमतों पर) 2007-08 से 2013-14 (सं.अ.) के प्रतिशत के रूप में

स्रोत : सीएसओ

मशीनीकरण और प्रोद्योगिकी

8.29 मशीनीकरण कृषि क्षेत्र के विकास का एक मुख्य प्रेरक है। खेत की क्षमता व औसत खाद्यान्न उत्पादन का सीधा संबंध है। बिजली की प्रति व्यक्ति वार्षिक उपलब्धता 2008-09 में 112.7 किवा प्र.घ. से बढ़कर 2011-12 में 142.4 कि.वा.प्र.घ. हो गई है। हालांकि भारत कृषि उत्पादन में एक शीर्ष देश है तो भी फार्म मशीनीकरण का वर्तमान स्तर, राज्यों में भिन्न-2 है और यह विकसित देशों में 90% की तुलना मे औसतन लगभग 25% है भा.कृ.अ.प. के अनुसार, उन्नत उपकरणों को अपनाने का आर्थिक लाभ लगभग 80,000 करोड़ प्रतिवर्ष है, जो इस क्षमता का केवल छोटा सा भाग है। इसके परिणामत: गांवों में युवाओं व दस्तकारों के लिए मशीनों के उत्पादन, प्रंचालन व रख-रखाव में कृषि संबंधी रोजगार के अवसर बढ़े हैं। कृषि कार्यबल में काफी अधिक व निरंतर गिरावट के कारण स्थायी उत्पादकता व लाभप्रद्रता के लिए फार्म मशीनीकरण का उच्चतर स्तर आवश्यक है।

कृषि पैदावार में शीर्ष देशों में होने के बावजूद, भारत में मशीनीकरण औसत स्तर, विकसित देशों में 90 प्रतिशत से काफी कम महज 25 प्रतिशत है।

8.30 फार्म मशीनीकरण की प्रमुख चुनौतियां हैं; प्रथम विभिन्न प्रकार की मृदा व जलवायु क्षेत्र वाले अत्यधिक विविधतापूर्ण कृषि जिसके लिए खास फार्म मशीनरी व उपकरण अपेक्षित होते हैं और द्वितीय, सीमित संसाधनों वाली काफी अधिक छोटी जोत भूमि। 112वीं योजना में छोटे व सीमांत किसानों व क्षेत्रों तक, जिनमें खेती क्षमता कम है, फार्म मशीनरीकरण को पहुंचाने के लिए कृषि मशीनरीकरण के संबंध में एक समर्पित मिशन शुरू किया गया है।

सिंचाई

8.31 जल कृषि के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्व इनपुट है। वर्तमान में 63 मिलियन है॰ अथवा निवल उपज क्षेत्र के 45% में सिंचाई की जाती है। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) के तहत 31 दिसम्बर, 2013 तक 64,228 करोड़ रुपये की केन्द्रीय ऋण सहायता/अनुदान राशि जारी की गई थी। एआईबीपी के तहत मार्च, 2012 तक प्रमुख/मध्यम/गौण सिंचाई परियोजनाओं से राज्यों द्वारा सृजित 8054.61 हजार है. की सिंचाई क्षमता का अनुमान है।

जल संसाधनों के अत्यधिक दोहन से 'राइस बाउल ऑफ इंडिया' में जल सारणी में चिंताजनक कमी आई है।

8.32 पंजाब-हरियाणा क्षेत्र में अपनाये गये उपज पैटर्न ''राइस बाउल ऑफ इंडिया'' के परिणामस्वरूप जल स्तर में चिंताजनक कमी आई है। यह दीर्घकाल में स्थायीवत नहीं है। अत: पंजाब, हरियाणा व पश्चिमी उत्तर प्रदेश राज्यों में बाधित उपज और जल संसाधनों के अत्यधिक दोहने की समस्या का सामना करने के लिए तकनीकी नवप्रवर्तन को प्रेरित करने व फसल के विकल्पों के चयन हेतु किसानों को प्रोत्साहित करने के लक्ष्य से 2013-14 में उपज बैविध्यकरण कार्यक्रम बनाया गया जिसका बजट 500 करोड़ रु॰ था।

ऋण

8.33 कृषि ऋण, कृषि उपज व उत्पादन में सुधार व किसानों की हताशा को कम करने के लिए महत्वपूर्ण इनपुट है। कृषि ऋण प्रवाह को सुधारने एवं खेत ऋण पर ब्याज दर को कम करने के लिए (i) 2013-14 हेतु कृषि ऋण प्रवाह 7,00,00 करोड़ रु॰ निर्धारित किया गया था और उपलब्धि 7,30765 करोड़ रुपये थी; जबकि 2012-13 में यह 6,07,375 करोड़ रु. थी; (ii) किसान 7% ब्याज दर पर 3,00,000 रुपये की मूल राशि तक का फसल ऋण ले सकता था। 2013-14 के दौरान उन किसानों के लिए ब्याज की प्रभावी दर 4% थी जो ऋण की तत्परता से चुकौती करते थे; (iii) किसानों को निगोशिएबल भंडारग्रहों प्राप्तियों एनडब्ल्यूआर के एवज में उपज उपरांत व्यावसायिक दर पर ऋण प्रदान किए गए थे। उत्पाद के एनडब्ल्यूआर की अपेक्षा गोदामों में भंडारण को प्रोत्साहित करने के लिए उपज ऋण की दर पर ही किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) धारक छोटे व सीमांत किसानों को उपज उपरांत छह माह की अवधि के लिए ब्याज में कमी का लाभ दिया गया।

बढ़ा कृषि ऋण प्रवाह, लक्ष्यों से अधिक है।

बीमा

8.34 कृषि में जोखिम प्रबंधन व जोखिम को कम करने के हिस्से के रूप में विभिन्न उपज बीमा स्कीमों का कार्यान्वयन किया गया है। केन्द्रीय क्षेत्र के राष्ट्रीय उपज बीमा कार्यक्रम (एनसीआईपी) में, जिसे 1 नवम्बर, 2013 को राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम एनएआईएस से प्रतिस्थापित किया गया था, के तीन संघटक है: प्रायोगिक आशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम (एनएआईएस) प्रायोगिक मौसम आधारित उपज बीमा स्कीम (डब्रूलूबीसीआईएस) और प्रायोगिक नारियल ताड़ बीमा स्कीम (सीआईपीएस) है। एनसीआईपी को 2013-14 से पूर्ण रुपेण कार्यान्वयन के लिए अनुमोदित किया गया है, जिसमें परिवर्तन किए गए हैं जैसे प्रमुख उपजों

संशोधित बीमा स्कीम से बेहतर कवरेज की आशा है।

के लिए ग्राम की पंचायत के समकक्ष इकाई को बीमा इकाई बनाया गया है; किसानों के लाभ के लिए स्थानीय आपदाओं जैसे ओलावृष्टि, और भूस्खलन के मामले में नुकसान की व्यक्तिपरक खेत स्तरीय आकलन किया जाता है।

8.35 कृषि बीमा कंपनी (एआईसी) ने कई जिलों में एमएनएआईएस व डब्ल्यूबीसीआईएस लागू कर दी है (सारणी 8.7) और विभिन्न फसलों नामत: कॉफी, रबड़ रोपण, जैव ईंधन पौधों, अंगूर, आम, आलू, रबी मौसम बीमा और वर्षा बीमा/रेनफाल इंश्योरेंश के जोखिम को कम करने हेतु फसल बीमा उत्पाद विकसित किए।

	खरीफ 2013		रबी 2013-14	
	जिला	राज्य	जिला	राज्य
एमएनएआईएस	29	13	127	12
डब्ल्यूवीसीआईएस	112	13	123	14

स्रोत: वित्तीय सेवाएं विभाग

सारणी 8.7 : खरीफ 2013 तथा रबी 2013-14 (नवंबर) के दौरान जिलों/राज्यों में कार्यान्वित एमएनएआईएस तथा डब्ल्यू बीसीआईएस

कृषि विस्तार

8.36 अंतिम छोर से संपर्क सुनिश्चित करने के लिए उभरती तकनीकी व ज्ञान की जरूरतों को पूरा करने हेतु विस्तार सेवाओं को उन्नत बगनाने की आवश्यकता है। अत: 11वीं योजना से विद्यमान विस्तार व सूचना प्रौद्योगिकी स्कीमों का सुदृढ़ीकरण, विस्तार व उपयुक्त सुधार किया गया है और राष्ट्रीय कृषि विस्तार और प्रौद्योगिकी मिशन (एनएमएईटी) के तहत कृषि विस्तार उप-मिशन (एसएमएई) के संघटक के रूप में कार्यान्वित किया गया है। कार्यान्वयन व निगरानी में राज्यों के लिए अधिक बड़ी भूमिका की परिकल्पना की गई है। एसएमएई के तहत स्कीमों में शामिल है:- जिला स्तर कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसियां (एटीएमए) जिनकी देशभर में 28 राज्यों व 3 संघ शासित क्षेत्रों के 639 ग्रामीण जिलों में स्थापना की किया गयी है इनसे 28.5 मिलियन किसानों, जिसमें 25.6% महिलाएं थी, से है: मास मीडिया और किसान कॉल सेंटर स्कीमें, केन्द्रीय क्षेत्र कृषि क्लीनिकों और कृषि व्यवसाय केन्द्रों (एसीएबीसी) स्थापना की स्कीम; किसानों के लिए एसएमएस पोर्टल।

सुदृढ़ीकृत विस्तार स्कीमों के आउटरीच से 28 मिलियन से अधिक किसान लाभान्वित हुए जिनमें से एक-चौथाई महिलाएं थीं।

8.37 कृषि तकनीकों/उत्पादों के आकलन, परिष्कार व निदर्शन के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने आयोजना स्कीम ''नवीन केवीके सातत्य, सुदृढ़ीकरण और स्थापना'' के अधीन कृषि विज्ञान केन्द्रों (केवीके) का नेटवर्क स्थापित कर जिला स्तर पर तकनीक अनुप्रयोग का तंत्र बनाया है। अभी तक 637 केवीके को मंजूरी दी गई और 2013-14 के दौरान 102.41 लाख किसान व अन्य हितधारक लाभान्वित हुए हैं।

कृषि उपज की मूल्य नीति

8.38 सरकार की प्रमुख कृषि उत्पादों की मूल्य नीति के दोहरे उद्देश्य हैं:- उत्पादकों को उनकी उपज के लिए उच्चतर निवेश व उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु लाभप्रद मूल्य सुनिश्चित करना और किफायती दामों पर आपूर्ति सुनिश्चत कर उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना। इन उद्देश्यों को हासिल करने के लिए, कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी) ने कतिपय आर्थिक कसौटी के आधार पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की संस्तुति की है। इसके बाद सरकार ने केन्द्र सरकारों व संबंधित मंत्रालयों/विभागों के दृष्टिकोण के मद्देनजर प्रत्येक मौसम से पूर्व गन्ने सहित 24 कृषि उत्पादों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की है। विगत कुछ वर्षों में न्यूनतम समर्थन मूल्य में पर्याप्त बढ़ोत्तरी हुई है, विशेषकर दालों, तिलहनों व कपास के समर्थन मूल्य में (चित्र 8.2)।

विगत कुछ वर्षों में एमएसपी और एफआरपी में पर्याप्त बढ़ोत्तरी देखी गई है।

8.39 तथापि गन्ने का मूल्य-निर्धारण आवश्यक वस्तु (ईसी) अधिनियम, 1955 के तहत जारी गन्ना (नियंत्रण) आदेश 1966 के सांविधिक प्रावधानों द्वारा नियंत्रित है। गन्ने के उत्पादन की लागत, रिकवरी दरों और चीनी व इसके उप-उत्पादों नामत: सीरा, खोई तथा प्रेस मड के मूल्य के मद्देनजर, उपयुक्त व लाभप्रद मूल्यों (एफआरपी) की अनुशंसा की गई है। एमएसपी/एफआरपी अर्ध्वगामी, एक दिशागामी होते हैं; इन्हें कुछ वर्षों तक स्थिर रखा गया है। 2013-14 के लिए

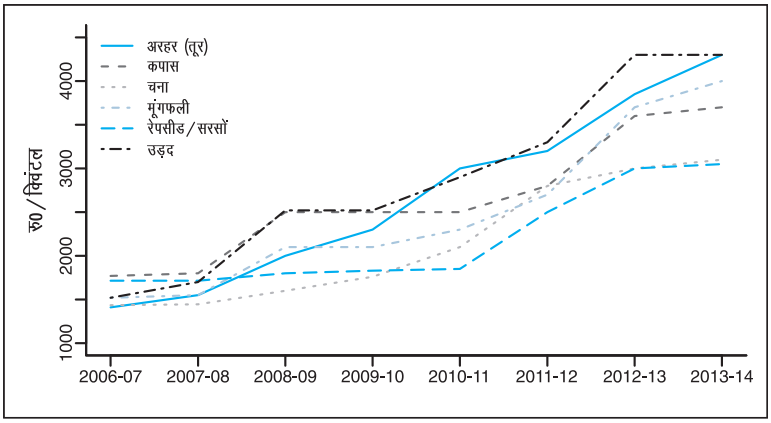

चित्र 8.2 : चुनीदां कृषि उत्पादों का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2007-08 से 2013-14 (₹ प्रति क्विंटल)

स्रोत: डीएसी

निर्धारित एमएसपी/एफआरपी 2009-10 के एमएसपी की तुलना में 27% (गेहूं), से 90% (मूंगफली) अधिक हैं (सारणी 8.8)।

फसल	2013-14	2009-10	प्रतिशत परिवर्तन
धान (सामान्य)	1310	1000	31
ज्वार (हाईब्रिड)	1400	1100	27
मक्का	1310	840	56
अरहर(तूर)	1500	840	79
उड़द	4300	2300	87
मूंगफली	4300	2520	71
सूरजमुखी	3100	1760	76
सोयाबीन (काला)	4000	2100	90
कपास (मध्यम)	3050	1830	67
गेहूं	3700	2215	67
चना	2500	1350	85
रैपसीड/सरसों	3700	2500	48
गन्ना (एफआरपी)	210	129.84	62

सारणी 8.8 : चुनींदा फसलों का एमएसपी/एफआरपी (₹ प्रति क्विंटल) तथा 2009-10 के बाद 2013-14 में प्रतिशत परिवर्तन

स्रोत: कृषि एवं सहकारिता विभाग।
टिप्पणी: बोनस समेत, जहां कहीं प्रयोज्य हो।

8.40 राज्य सरकारों द्वारा नियत गन्ने के मूल से अधिक मनमाने निर्धारण से चीनी की मिलों पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। रंगराजन समिति ने गन्ने के मूल्यों को चीनी के मूल्यों से जोड़कर देखने की सिफारिश की थी, जिसे सभी राज्य सरकारों द्वारा अभी तक स्वीकार नहीं किया गया है। इस वर्ष अधिशेष शुरुआती स्टॉक और अच्छी पैदावार के कारण चीनी के मूल्यों में कमी आई, जिससे गन्ने के मूल्य का काफी अधिक बकाया रहा। गन्ना किसानों को पूर्व में चीनी के मौसम के बकाया के भुगतान और चालू चीनी मौसम के लिए गन्ने के मूल्य के समय पर नियतन को आसान बनाने के लिए, केन्द्र ने 3 जनवरी, 2014 को चीनी मिलों को अतिरिक्त पूंजी के रूप में 6600 करोड़ रुपए के ब्याज मुक्त बैंक ऋण की परिकल्पना करते हुए चीनी उपक्रमों को वित्तीय सहायता देने हेतु स्कीम (एसईएफएएसयू-2014) अधिसूचित की है। इसके अलावा, निर्यात बाजार के लिए लक्षित कच्ची चीनी के उत्पादन के लिए 3300 रुपए प्रति टन का प्रोत्साहन फरवरी और मार्च, 2014 में दिया गया था। इसे घटाकर अप्रैल एवं मई 2014 में 2277 रुपए कर दिया गया तथा जून और जुलाई 2014 के लिए इसे पुन: 3300 रुपये कर दिया गया। चीनी मिलों को इसका उपयोग किसानों को भुगतान करने के लिए करना था।

बागवानी

8.41 बागवानी क्षेत्र में फलों एवं सब्जियों से लेकर गिरीदार फलों, मसालों औषधीय पौधों, पुष्पों, एवं रोपी जाने वाली फसलें शामिल हैं। इसमें आय अर्जन के अनेक अवसर होते हैं। भारत विश्व में फलों और सब्जियों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। यह आम, केला, नारियल, काजू, पपीता और अनार का सबसे बड़ा उत्पादक; और मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश है। बागवानी उत्पादन का अनुमान 265 मिलियन टन लगाया गया था। यह 2008-09 एवं 2012-13 के बीच बागवानी फसलों की पैदावार में 8.6% की वृद्धि के चलते 2012-13 में खाद्यान्न और तिलहनों का उत्पादन बढ़ गया है (सारणी 8.3)।

पहली बार, 2012-13 में बागवानी की पैदावार, खाद्यान्न व तिलहन को मिलाकर कुल पैदावार से अधिक रही।

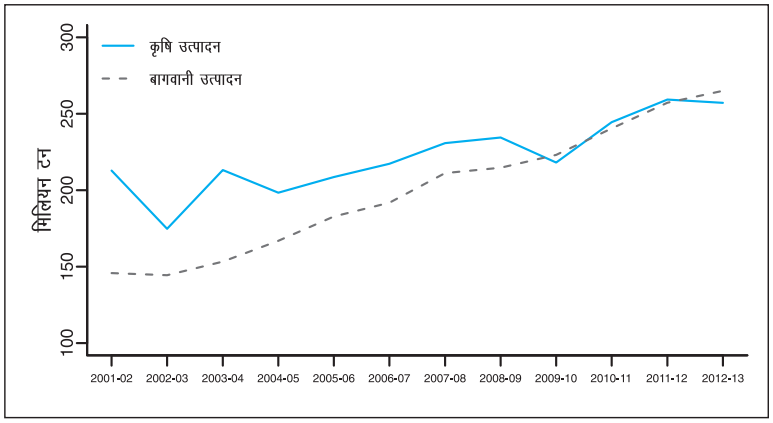

चित्र 8.3 : कृषि उत्पादन (खाद्यान एवं तिलहन) और बागवानी उत्पादन (2001-02 से 2012-13)

स्रोत: डीएसी

8.42 पहले की सभी स्कीमों अर्थात राष्ट्रीय बागवानी मिशन, उत्तर पूर्वी और हिमालय बागवानी मिशन, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, नारियल विकास बोर्ड सौर राष्ट्रीय बांस मिशन को बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान (एफपीओ) एकीकृत बागवानी विकास मिशन के अंतर्गत लाया गया है। कृषक उत्पादक संगठन/कृषक उत्पादक कंपनियों (एफपीसी) में संगठित करके किसानों की कृषि उत्पादन क्षमता बढ़ाना इस एकीकृत बागवानी मिशन की विषेशता है (बाक्स 8.2)।

पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन

8.43 भारतीय कृषि प्रणाली एक सतत कृषि माडल है क्योंकि यह मुख्यता: एक मिश्रित फसल-पशुधन कृषि पद्धति है। पशुधन क्षेत्र से कृषि आय में बढ़ोतरी होती है क्योंकि इससे रोजगार भारवाही पशु और खाद्य मिलती है।

बाक्स 8.2 : 2014 किसान उत्पादक संगठन वर्ष

कृषि मंत्रालय की सभी बड़ी केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों में कृषक उत्पादक संघों के संवर्धन एवं विकास के विशिष्ट प्रावधान हैं। इन संघों को 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान समावेशी कृषि विकास प्राप्त करने के लिए मुख्य कार्य नीतियों की एक कार्य नीति बनाई जाती है। दलहनों एवं तिलहनों के लिए एमएसपी के अंतर्गत मूल्य समर्थन संबंधी कार्य करने के लिए, लघु कृषक कृषि व्यवसाय संघ को केंद्रीय खरीद एजेंसी निर्दिष्ट किया गया है, और यह खेत पर कृषक उत्पादक संघों के माध्यम से ही कार्य करेगा। सदस्य-आधारित कृषक उत्पादक संघ, एग्रीगेटर्स के रूप में काम करेंगे और उत्पादकों, विशेषकर, छोटे कृषि स्वामियों को मोल-भाव करने की अधिक सुविधा प्रदान करेंगे, मूल्य श्रृंखला में भी इनकी भागीदारी हो सकेगी, इससे अधिक आमदनी और रोजगार पैदा होगा।

कृषक उत्पादक संघों के लिए मार्च, 2013 में जारी किए गए राष्ट्रीय नीति और प्रक्रिया दिशा निर्देशों में कृषक उत्पादक संघों की व्यवस्था के लिए प्रणाली का उल्लेख है। इन संघों को राजीव गांधी कृषि विकास योजना से वित्त पोषण प्राप्त होगा। कृषक उत्पादक समूहों के लिए इक्विटी ग्रांट और क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम 01 जनवरी, 2014 को शुरू की गयी थी। इससे डबल मेंबर इक्विटी के लिए बैंक से 10 लाख रुपए तक का अनुदान और एक करोड़ रुपए तक का बगैर-जमानती ऋण प्राप्त किया जा सकता है। बदले में, ये क्रेडिट गारंटी फंड से 85 प्रतिशत कवर की मांग कर सकते हैं।

वर्ष 2014 को कृषक उत्पादक संघ के वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। इसके लिए लघु कृषक कृषि व्यवसाय संगठन एक नोडल संगठन है। कृषक उत्पाद संघों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए, सम्मेलन सेमिनार और कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं।

स्रोत: एलएफएसी

डेयरी और कुक्कुट पालन

8.44 भारत का दूध उत्पादन में पहला स्थान है जो विश्व उत्पादन का 17 प्रतिशत होता है। 2012-13 के दौरान, दूध उत्पादन 132.43 मीट्रिक टन पर अपने चरम पर था। दूध की वर्ष-दर-वर्ष औसत वृद्धि दर 4.04 प्रतिशत पर रही जबकि विश्व उत्पादन की वृद्धि दर 2.2% थी। इससे डेरी उद्योग में लगे 70 मिलियन ग्रामीण परिवारों के लिए आय का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत होने के साथ-साथ, दूध और दूध से बनी वस्तुओं की उपलब्धता में निरंतर वृद्धि का पता चलता है। इस सेक्टर में लगे ग्रामीण प्रविवारों में से 70% महिला श्रम शक्ति थी।

8.45 राष्ट्रीय पशु प्रजनन और डेयरी विकास कार्यक्रम नामक एक विस्तृत नई स्कीम शुरू की गई। इसका उद्देश्य दूध और दूध से बनी वस्तुओं का उत्पादन लगातार बढ़ाना है। राष्ट्रीय डेयरी योजना फैज-I मार्च 2012 में शुरू की गई थी जिसका उद्देश्य दुधारू पशुओं की दुग्ध क्षमता बढ़ाना, दूध खरीद के लिए गांव स्तरीय अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार, करना और दूध का काम करने वालों को डेयरी सेक्टर संबंधी बाजार में और अधिक पहुंच उपलब्ध कराना है। दूधारू पशुओं की संख्या 2000 में 62 मिलियन थी जो बढ़कर 2012 में 83.15 मिलियन हो गई है। इस प्रकार देश में उन्नत दुधारू पशुओं की संख्या बढ़ी है।

भारत का विश्व भर में दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान है और वर्ष दर वर्ष वृद्धि 4 प्रतिशत से अधिक है।

8.46 वाणिज्यिक कुक्कट पालन उत्पादन के लिए सहायक नीतियां बनाने के अलावा सरकार का ध्यान परिवार स्तर पर कुक्कट पालन व्यवस्था पर है। इसमें आजीविका संबंधी मुद्दों की ओर ध्यान दिए जाने का उल्लेख है। अंडा उत्पादन 2013 में 69.73 बिलियन रहा जबकि कुक्कुट मीट उत्पादन 2.68 मीट्रिक टन होने का अनुमान हैं (परिशिष्ट 1.20)

मत्स्य पालन

8.47 मत्स्य पालन आजीविका का एक महत्वपूर्ण स्रोत होने के साथ ही मछली प्रोटीन का महत्वपूर्ण स्रोत भी है। देश में 14.4 मिलियन मछुवारे हैं। भारत का विश्व मछली उत्पादन में दूसरा स्थान है। कुल विश्व उत्पादन में भारत का योगदान लगभग 5.4 प्रतिशत बैठता है। यह ऐक्वाकल्चर के माध्यम से मछली का बहुत बड़ा उत्पादक भी है। 2013-14 के दौरान मछली का कुल उत्पादन 9.45 मीट्रिक टन जिसमें 6.10 मीट्रिक टन अन्तरदेशीय सेक्टर से और 3.35 मीट्रिक टन समुद्र सैक्टर से है। इस क्षेत्र का योगदान कुल सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 1 प्रतिशत होता है और कृषि सकल घरेलू उत्पाद का 4.6 प्रतिशत बैठता है।

मत्स्य पालन व पशुधन क्षेत्र ग्रामीण ग्रहस्थों की आय का महत्वपूर्ण स्रोत है; कुल जीडीपी में जिनका योगदान क्रमश: 1 प्रतिशत व 4 प्रतिशत से अधिक है।

पशुधन स्वास्थ्य

8.48 पशुधन स्वास्थ्य के मुद्दे से प्रभावी ढंग से निपटने और सीमा-पार प्रकृति की पशु बीमारियों से निबटने के प्रयासों को व्यापक रूप से सुदृढ़ करने के लिए विद्यमान घटकों में परिवर्तन और नए घटकों को शामिल कर 12वीं योजना में केंद्रीय प्रायोजित स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण (एलएचएण्डडीसी) स्कीम शुरू की गई थी। विभिन्न पशुरोग नियंत्रण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन से देशभर में पशुरोग की घटनाओं में कमी आई है जो जनता के स्वास्थ्य के लिए एक अच्छा संकेत है। पशुधन क्षेत्र के स्थायीवत विकास के उद्देश्य से सात केंद्रीय प्रायोजित और सात केंद्रीय क्षेत्र स्कीमों को शामिल करते हुए राष्ट्रीय पशुधन मिशन (एनएलएम) बनाया गया है। इस मिशन को पशुधन उत्पादक प्रणालियों में परिमाणात्मक एवं गुणात्मक सुधार और सभी हितधारकों की क्षमता का निर्माण सुनिश्चित करने के लिए अपेक्षित सभी कार्यकलापों को कवर करने के लिए बनाया गया है।

घरेलू कृषि विपणन

8.49 कृषि वस्तुओं के सुव्यवस्थित विपणन को विनियमित नेटवर्क के माध्यम से प्रोत्साहित किया गया है जिसका मुख्य उद्देश्य आपूर्ति व मांग की अबाधित भूमिका के लिए सहायक बाजार वातावरण का सृजन कर किसानों व उपभोक्ताओं दोनों के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करना है। नियमित बाजारों की संख्या 1950 में 286 थी, जो बढकर मार्च 31, 2014 में 7114 हो गई है। इसके अतिरिक्त देश में 22,759 ग्रामीण नियतकालिक बाजार हैं। बाजार का औसत क्षेत्र 114.45 वर्ग किलोमीटर है, जबकि विनियमित बाजार का औसत क्षेत्र 462.08 वर्ग किलोमीटर है। जिसमें पंजाब में 118.78 वर्ग किलोमीटर से मेघालय में 11,214 वर्ग किलोमीटर की भिन्नता है। राष्ट्रीय कृषि आयोग ने (2004) में 5 किलोमीटर (अथवा 80 वर्ग किलोमीटर) के दायरे के भीतर एक बाजार की सिफारिश की। बाजार के कम प्रसार से बाजार से संपर्क की समस्या उत्पन्न होती है।

निरंतर खाद्य मुद्रास्फीति के समाधान हेतु ''खेत से प्लेट'' आपूर्ति श्रृंखला के सर्वांगीण सुधार की जरूरत है।

8.50 भारत में खाद्य पदार्थों की कीमतों में बढ़ोतरी की समस्या काफी समय से चलती आ रही है जबकि कई सुधारपरक योजनाऐं चलाई गई हैं। मध्यस्थता की ऊंची कीमतों का कीमतों पर प्रभाव पड़ता है। कृषि सुधार समिति (2013) ने अवरोध मुक्त राष्ट्रीय बाजार, जो किसानों और ग्राहकों के फायदों के लिए हो की अनुशंसा की थी। बाक्स 8.3 कृषि विपणन सुधार की तात्कालिकता को रेखांकित करता है।

बाक्स 8.3 : कृषि विपणन में सुधारों की आवश्यकता

भारत में कार्यकुशल कृषि कार्य की स्थापना में सीमित सफलता मिली है। सरकारी-नियमित थोक बाजारों के एकाधिकार के चलते देश की प्रतिद्वन्दी बाजार प्रणाली का विकास रूक सा गया है। कृषि वस्तुओं के बाजार के उदारीकरण के संदर्भ में और वैश्विक बाजार के नई अभिगमन अवसरों का घरेलू खेती समुदाय द्वारा फायदा ऊठाने के लिए, आंतरिक कृषि विपणन व्यवस्था को एकीकृत और मजबूत करने की आवश्यकता है।

सरकार की विभिन्न समितियों और कार्य दलों ने यह सिफारिश की है कि निजी क्षेत्र की अधिक भागीदारी को आसान बनाने के लिए राज्य के कृषि बाजार पर नियंत्रण को कम किया जाए, विशेषकर कृषि बाजार के विकास के लिए भारी निवेश प्रेरित करने के लिए/मॉडल कृषि उत्पाद विपणन (विकास और विनियमन) [एपीएम (डीआर)] अधिनियम, 2003 को सभी राज्यों में, इसे अपनाने के लिए, परिचालित किया गया था। सुधारों में राज्य कृषि उत्पाद विपणन समितियों (एपीएमसी) की विद्यमान संरचना के भीतर कुछ विषयों के समाधान पर काफी अधिक ध्यान दिया गया है। तथापि वे कृषि उत्पादों के अंतर-राज्य व्यापार में एकाधिकार एवं गैर-प्रतिस्पर्धी परिपाटी का समाधान नहीं कर सकीं। कृषि सुधार समिति (2013) ने पाया कि ''कुल मिलाकर एपीएमसी विपणन सेवा/सुविधाओं की आपूर्ति में एक प्रकार की सरकार द्वारा प्रायोजित एकाधिकार प्राप्त संस्था के रूप में उभरी है और इसमें एकाधिकार संबंधी सभी खामियां है।

अत: एपीएमसी अधिनियम से भौतिक बाजार नेटवर्क स्थापित करने का मूल उद्देश्य हासिल नहीं हुआ है। प्रत्यक्ष विपणन जैसे पंजाब में अपनी मंडी, तमिलनाडु में उझावर संधाई, महाराष्ट्र में शेतकारी बाजार, पुणे में हदसपुर बाजार, आन्ध्र प्रदेश में रायथू बाजार, ओडिशा में कृषक बाजार और राजस्थान में किसान मंडी से कुछ सफल पहलें भी हुई हैं।

कुछ उपाय जिनसे बाधामुक्त राष्ट्रीय बाजार बनाने में आसानी होगी:

(i) किसी बाजार में शीघ्र खराब होने वाले सभी उत्पादों जैसे फल व सब्जियां, दूध व मछली की बिक्री व खरीद की अनुमति।

(ii) फलों व सब्जियों पर बाजार शुल्क में छूट और कृषि बागवानी उपज पर अत्यधिक कमीशन प्रभारों में कमी करना।

(iii) राज्यों के प्रत्यक्ष विपणन के प्रयासों की सफलता से सहायता लेना, किसान बाजारों के गठन के लिए एपीएमसी/अन्य बाजार अवसंरचना का उपयोग किया जा सकता है। एफपीओ/स्वंय सहायता समूहों को जो शहरी केंद्रों, मॉल आदि जो खुले स्थानों, के नजदीक हैं को किसान बाजार के गठन के लिए प्रेरित किया जा सकता है। इन्हें प्रत्येक दिन अथवा सप्ताहांत में लगाया जा सकता है जो लोगों की आवा जाही पर निर्भर करता है।

(iv) कंपनियों को कृषि सहबद्ध कार्यकलापों खाद्य प्रसंस्करण आदि में शामिल होने के लिए प्रेरित करने हेतु कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व सीएसआर की अनुमत्य सूची के अंतर्गत ''किसान बाजार सुविधा संगठन'' को सीएसआर के तहत इस कार्यकलाप को करने के लिए शामिल करना और आपूर्ति श्रृंखला की अवसंरचना की स्थापना में मदद भी करना। यह आईटीसी लिमि॰ की कई-चौपाल पहल के समान लेकिन सीएसआर के अधीन होगा।

(v) उपर्युक्त सभी सुविधाकारक कृषि वस्तुओं के वर्तमान व भावी मूल्यों का प्रचार-प्रसार करने के लिए उत्पाद विनिमय मंच से लिंक भी बना सकते हैं।

वस्तु वायदा बाज़ार

8.51 वस्तु वायदा बाजार की शुरूआत एक आवश्यक महत्वपूर्ण पहल थी जिसका उद्देश्य घरेलू बाजार की कार्यकुशलता को सुधारना है। वस्तु वायदा बाज़ार मूल्य खोज प्रणाली को आगे बढ़ाता है और वस्तुओं के मूल जोखिम संचालन हेतु मंच प्रदान करता है। वायादा बाज़ार आयोग (एफ एम ओ), जो वस्तु वायदा बाज़ार का नियामक है, सितम्बर 2013 में, वित्त मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में लाया गया था। वर्तमान में 113 वस्तुओं में से केवल 46, जो भावी विनिमय के लिए अधिसूचित हैं, की 6 राष्ट्रीय विनिमय केन्द्रो और 11 वस्तु विशेष विनिमय केन्द्रों में सक्रिय रूप से ट्रेडिंग होती है। कृषि वस्तुओं में वायदा ट्रेडिंग 2013-14 में कुल टर्नओवर का 15.8 प्रतिशत रहा, इसमें खाद्य मदें (रिफाइन्ड सोया आयल, सोयाबीन, चना, रैपसीड/सरसों बीज तथा कोरिएन्डर) 55.56 प्रतिशत और गैर खाद्य-भिन्न मदें (अरण्डी के बीज तथा कपास) 17.46 प्रतिशत था। व्यापार के कुल परिमाण में 39 प्रतिशत की कमी आई तथा कृषि व्यापार 2012-13 की तुलना में लगभग 18 प्रतिशत रहा। (चित्र 8.4)

वायदा बाजार, भावी मूल्य रूझानों के संदेशवाहक के रूप में सरकार को समय पूर्व कार्यवाई करने मदद करता है, जब आवश्यक हो।

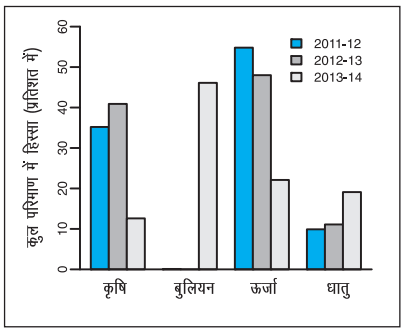

स्रोत: एफएमसी

चित्र 8.4. विनिमय केन्द्रों में कुल व्यापार परिमाण में समूह-वार हिस्सा (%) 2011-12 से 2013-14

8.52 सूचना का असमान प्रचार-प्रसार बाजार के मार्ग में बाधा है। कृषि आपूर्ति श्रृखला में सभी हितधारकों के लाभ के लिए और विशेषकर किसानों को उपज के पैटर्न व विपणन कार्यनीतियों से संबंधित विवेकपूर्ण व सुविचारित निर्णय लेने में समर्थ बनाने के लिए एफ एम सी मूल्य वितरण स्कीम का कार्यान्वयन कर रहा है। इसके तहत, राष्ट्रीय एक्सचेंजों के भावी एवं वर्तमान मूल्य और लगभग 1700 मंडियों से एगमार्कनेट के वर्तमान मूल्य 267 एपीएमसी में संस्थापित मूल्य टिकट/बोर्डो, किसान विकास केन्द्रों व ऐसे अन्य स्थानों से रियल टाइम आधार पर संचालित किए जा रहे हैं, जहां किसानों की आवाजाही अधिक है। किसानों और अन्य हितधारकों के बीच जागरुकता में बढ़ोत्तरी करने के लिए ताकि उन्हें मूल्य प्राप्ति तंत्र से लाभ मिलें, आवश्यकता है कि किसान बाजारों सहित सभी बाजारों में इनकी संस्थापना की जाए।

8.53 तथापि, भावी व्यापार को ध्यान में रखते हुए अचानक प्रतिबंध व इसे हटाने की, चालू बंद करने की नीति का पालन किया गया, जिससे बाजार में अपारदर्शिता व अनिश्चितता आई और इस मंच के किसानों व अन्य हितधारकों के मुनाफे के लिए मूल्य प्राप्ति तंत्र के साधन के रूप में विकसित करने में अवरोध हुआ है। उत्तरवर्ती मासों के भावी अनुबंध भावी कीमत प्रवृत्तियों का संकेत देते हैं तथा इस प्रकार वे सरकार के लिए आवश्यकतानुसार कार्रवाई का मार्ग प्रशस्त करते हैं। वे किसानों को उपज के पैटर्न और खेती में निवेश की सघनता के संबंध में निर्णय लेने में मदद मिल सकती है और वे अपनी मोलभाव करने की क्षमता में सुधार कर सकते हैं। इससे विनिर्माताओं को भी कच्चे माल के साथ ही अपने तैयार माल की जरुरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी। वस्तुत: खरीद एजेंसियां एनएफएसए 2013 के प्रावधानों के अनुसार अपनी भविष्य की जरुरतों को नियमित आधार पर पूरा कर इस मंच का अपने लाभ के लिए उपयोग कर सकते हैं। यह देखते हुए कि भारत प्रमुख उपभोक्ता वस्तुओं का अग्रणी उत्पादक एवं उपभोक्ता है। अत: वह कीमतों को स्वीकार करने की अपेक्षा वैश्विक कीमतों का निर्धारक हो सकता है। तथापि, चावल तथा गेहूं के मामले में, जहां एमएसपी तंत्र प्रभावी है, व्यापार की गई वस्तुओं का परिमाण कम है। परिणामत: वैश्विक उपभोक्ता वस्तु बाजारों के विपरीत घरेलू बाजार अपनी कीमतों के निर्धारण में सक्षम नहीं है।

कृषि उत्पादों का अग्रणी उत्पादक व प्रमुख उपभोक्ता होने के बावजूद भारत ने वैश्विक मूल्य निर्धारक की भूमिका नहीं ली है।

भण्डारगृह विकास और विनियामक प्राधिकरण (डब्ल्यूडीआरए)

8.54 कारोबार के रूप में एनडब्ल्यूआर की शुरूआत करना एक अन्य महत्वपूर्ण पहल है जिसका उद्देश्य न केवल किसानों को बेहतर ऋण सुविधायें मुहैया कराने

और प्रतिकूल बिक्री से बचाने में सहायता करना है, बल्कि किसानों को ऋण प्रदान करने में निहित जोखिमों को कम करके वित्तपोषण संस्थाओं की सुरक्षा करना भी है। डब्ल्यूडीआरए, एनडब्ल्यूआर के व्यथा का इरादा रखने वाले भण्डारगृहों का पंजीकरण और अधिकृत करने वाले प्राधिकरण के रूप में, एनडब्ल्यूआर विषयक परिणाम के लिए 40 कृषि वस्तुओं को अनुमोदित किया है, जिनमें अनाज, दालें, तिलहन और मसाले शामिल हैं। अभी तक 302 भण्डारगृहों को प्राधिकृत किया जा चुका है, जिनमें से केन्द्रीय भण्डारगृह निगम, राज्य भण्डारगृह निगम, और निजी संगठनों के 10.55 लाख मीट्रिक टन भण्डारण क्षमता वाले 271 भण्डारगृहों को पंजीकृत किया जा चुका है।

वायदा बाजार और एनडब्ल्यूआर, दोनों केवल बाजार की प्रतियोगी दशाओं में सफल होंगी।

8.55 भण्डारगृहों की गुणवत्ता और सुपुर्दगी पहलुओं को सुधारने के लिए, एफएमसी ने सभी कमोडिटी एक्सचेंजों को डब्ल्यूडीआरए से पंजीकरण कराने के दिशानिर्देश दिए थे। तथापि, चावल और गेहूं के मामले में, किसान रिपोर्ट के अनुसार एनडब्ल्यूआर का प्रयोग नहीं कर रहे हैं क्योंकि वे एमएसपी पर गारंटीदाता, प्रापण एजेंसी को, अपने उत्पाद की बिक्री को अधिक लाभप्रद और सुगम पाते हैं। इसके अलावा, ऐसे क्षेत्रों में भी जहां प्रापण अभिकरणों के कुछेक प्रचालन केन्द्र हैं, एनडब्ल्यूआर को सफलता नहीं मिल रही है। अत:, एक मुक्त प्रतिस्पर्धात्मक बाजार इन पहलों के सफलतापूर्वक प्रचालन के लिए आवश्यक शर्त है।

खाद्य प्रसंस्करण

8.56 होल्डिंग कृषि रोजगार में गिरावट के चलते गैर-कृषि और विनिर्माण क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार अवसरों का, विशेषत: कृषि-आधारित ग्रामीण उद्योगों में, सृजन करना पड़ेगा। कृषि उद्योगों के रूप में अनुप्रवाही बाजार संयोजनों का प्रोत्साहन और विकास करना कृषि की वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। 2012-13 को समाप्त विगत पांच वर्षों के दौरान यह क्षेत्र कृषि की तुलना में लगभग 8.4 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि दर से अधिक तेजी से वृद्धि कर रहा है। इसमें निजी क्षेत्र की भूमिका महत्वपूर्ण है क्योंकि उनके द्वारा बड़ी मात्रा में अर्थव्यवस्था को गति मिल सकती है।

कृषि प्रसंस्करण क्षेत्र, जो विकास का अगला वाहक है, के विकास के लिए बड़े पैमाने पर निजी निवेश आवश्यक है।

8.57 यद्यपि भारत कई कृषि पण्यों का सबसे बड़ा उत्पादक है, फिर भी आपूर्ति शृंखला में उच्च स्तरीय घाटे हैं। 2010 में फसल कटाई-उपरांत केन्दीय अभियंत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (सीआईपीएचईटी) द्वारा आयोजित अध्ययन में घाटों को 0.8 से 18 प्रतिशत के बीच रखा है और उनके लिए कई कारकों को उत्तरदायी ठहराया है, जिसमें संग्रह हेतु सुविधाओं, पैकिंग, भण्डारण, परिवहन और कोल्ड चेन का उपलब्ध नहीं होना तथा कृषि उत्पाद के प्रसंस्करण का निम्न स्तर शामिल हैं। भारत जैसे विकासशील देश में, जहां इक्विटी के साथ विकास, नीति की प्रमुख जरूरत है, खाद्य-प्रसंस्करण क्षेत्र का विकास, कृषि में प्रच्छन्न बेरोजगारी, ग्रामीण गरीबी, खाद्य सुरक्षा, खाद्य मुद्रास्फीति, उन्नत पोषण और खाद्य सामग्री की बर्बादी की रोक जैसे कई मुद्दों हो हल करेगा। इसके लिए, सरकार आधुनिक अवसंरचना और कुशल प्रसंस्करण सुविधाओं के सृजन को महत्व दे रही है। इन पहलों में (i) मेगा फूड पार्कों, (ii) कोल्ड चेन, मूल्य वृद्धि और संरक्षण अवसंरचना, (iii) विद्यमान बूचड़खानों का आधुनिकीकरण और नये बूचड़खानों की स्थापना करना शामिल है।

व्यापार नीति

8.58 भारत, एक बड़े विस्तृत और विविध कृषि के साथ विश्व में चावल, गेहूं, दूध, गन्ने, फलों, सब्जियों का प्रमुख उत्पादक देश है। इसलिए प्रमुख वस्तुओं के तुलन पत्रों में परिवर्तनों से विश्व बाजारों पर संभावित रूप से भारी प्रभाव पड़ेगा। तथापि, भारत बड़े पैमाने पर एक आत्मनिर्भर राष्ट्र है। और वैश्विक व्यापर में

कृषि पैदावार में बढ़ोत्तरी के लिए दीर्घकालिक स्थायी व्यापार नीति जरूरी है।

भागीदारी से हिचक रहा है।

8.59 मूल्य वर्द्धित उत्पादों के घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करने, रोजगार का सृजन करने और निर्यात को प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के लिए कुछ घरेलू उत्पादों में आधारभूत सीमा-शुल्क को कम कर दिया/हटा दिया गया था। अवमूल्यन का सामना करने और घरेलू किसानों एवं उद्योगों के हितों का संरक्षण करने के लिए कुछ कृषि उत्पादों का आधारभूत सीमा-शुल्क (बीसीडी) बढ़ा दिया गया था (बॉक्स 8.4)।

8.60 घरेलू मूल्य स्थिति के प्रति तात्कालिक प्रतिक्रिया के रूप में कृषि वस्तुओं के लिए आमतौर पर एक तद्र्थ व्यापार नीति का अनुसरण किया जाता रहा है, जिससे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार एक बड़ी अनिश्चितता में पड़ जाता है और इस पिरामिड में सबसे नीचे होने की वजह से किसान पर इसका सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। इससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता होने पर भी भारत की विश्वसनीयता में कमी आ जाती है। कृषि उत्पादों के संबंध में एक स्थिर और दीर्घकालिक व्यापार नीति अत्यंत आवश्यक है। यह महत्वपूर्ण है कि हाल के वर्षों में कुछ नीतिगत परिवर्तन किए गए: 2011 से चावल और गेहूं के निर्यात की अनुमति दी गई और फरवरी, 2013 के बाद से संसाधित और/अथवा मूल्य वर्द्धित कृषि उत्पादों को निर्यात सीमाओं/प्रतिबंधों से छूट प्रदान की गई है फिर चाहे उनके आधार उत्पाद पर निर्यात का प्रतिबंध ही क्यों न लगा हो। इससे किसानों को लाभ होगा, कृषि-प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहन मिलेगा और कृषि उत्पादकता में वृद्धि होगी।

बॉक्स 8.4 : कृषि/कृषि-प्रसंस्करण/वृक्षारोपण क्षेत्र में कर संबंधी उपाय (2013-14)

बीसीडी को बगैर छिले जई अनाज पर 30% से कम करके 15%; अखरोट पर 30% से कम करके 10% कर दिया गया; टूटी काजू गिरी, साबुत काजू गिरी और अन्य पर बीसीडी का निर्धारण इस प्रकार है:

टूटी काजू गिरी (0801 32 10) के लिए 60 रुपए प्रति किलो अथवा 45% जो अधिक हो;

साबुत काजू गिरी (1801 32 20) और अन्य (0801 32 90) के लिए 75 रुपए प्रतिकिला अथवा 45% जो भी अधिक हो;

कच्ची और सफेद/परिष्कृत चीनी के आयात पर बीसीडी को 10% से बढ़ाकर 15% किया गया;

परिष्कृत खाद्य तेलों पर बढ़ाकर 7.5% से 10% किया गया।

डी-आयल्ड चावल ब्राण्ड के आयल केक पर लगे 10% के निर्यात शुल्क को वापस ले लिया गया;

चुकंदर के बीजों के आयात को 5% के रियायती बीसीडी पर अनुमति प्रदान की गई;

प्राकृतिक रबड़ पर बीसीडी का गैर-प्रकाशन मूल्य बढ़ाकर 20 रुपए प्रति किलो से 30 रुपए प्रति किलो किया गया।

स्रोत: राजस्व विभाग

मापने योग्य परिणाम

8.61 विभिन्न स्कीमों, सब्सिडियों तथा कार्यक्रमों के जरिए कृषि प्रोत्साहन के सभी प्रयासों के परिणामत: इस वर्ष खाद्यान्न का रिकार्ड उत्पादन हुआ है। तथापि, अर्थव्यवस्था के लिए कृषि उत्पादों की पैदावार उपलब्धता व निर्यात के स्तर अधिक महत्वपूर्ण हैं।

उत्पादकता स्तर

8.62 यह प्रेरणादायक है कि अंगूर, केला, कसावा, मटर प पपीता की पैदावार में भारत का प्रथम स्थान है। भारतीय कृषि के उत्पादकता स्तर, प्रयास किए जाने के बावजूद वैश्विक मानकों से काफी कम हैं (सारणी 8.9)।

कृषि पैदावार में बढ़ोत्तरी हेतु तकनीकी नवाचार जरूरी है।

दूध का सबसे बड़ा उत्पादक होने के बावजूद भारत में गोजातीय मांस उत्पादकता 2238 किग्रा॰ प्रतिवर्ष के वैश्विक औसत की तुलना में मात्र 1538 किग्रा॰ प्रतिवर्ष है। यह मुख्यत: अवगीकृत गोजातियों के दुग्ध उत्पादन की

सारणी 8.9 : भारत की उत्पादकता और विश्व औसत तथा प्रमुख फसलों के मामले में सर्वाधिक उपज वाले देश (टी ई 2012) (किग्रा॰/हे॰)

फसल/वस्तु	विश्व औसत (टीई 2011-12)	भारत (टीई 2012)	सर्वाधिक ऊपज वाले देश (टीई 2012)	
खाद्यान्न				
धान	4397	3514	6661	(चीन)
गेहूं	3094	3000	7360	(यूके)
मक्का (कार्न)	5097	2321	8858	(यूएसए)
दालें				
काबुली चना	917	912	1663	(इथोपिया)
पिजन-पीज	786	681	1320	(म्यांमार)
तिलहन				
मूंगफली	1626	1212	4069	(यूएसए)
रैपसीड/सरसों	1855	1163	3588	(यूके)
कपास	769	517	1920	(अस्ट्रेलिया)
गन्ना	70470	69227	125587	(पेरू)

स्रोत: कृषि आंकड़े एक दृष्टि में 2013; खरीफ एवं रबी कीमत नीति रिपोर्ट सीएसीपी
टिप्पणी: टीई - त्रैवार्षिक समाप्ति।

अल्प आनुवांशिक क्षमता और निम्न स्तरीय पोषण के कारण है। नई प्रौद्योगिकी और बेहतर इनपुट के बिना उत्पादकता के इन स्तरों पर वृद्धि में तेजी ला पाना कठिन होगा।?

निवल उपलब्धता और प्रतिव्यक्ति उपलब्धता

8.63 खाद्यान्नों की निवल उपलब्धता वर्ष 2013 में बढ़कर 229.1 मिलियन टन हो गई है जो पिछले वर्ष की तुलना में 15% की वृद्धि को दर्शाता है। खाद्यान्नों की प्रतिव्यक्ति निवल उपलब्धता 164.3 किग्रा॰ प्रतिवर्ष से बढ़कर 186.4 किग्रा॰ प्रतिवर्ष हो गई, और खाद्य तेलों की निवल उपलब्धता भी इस अवधि (परिशिष्ट 1.16 से 1.18) के दौरान 12.7 किग्रा॰ प्रतिवर्ष से बढ़कर 15.8 किग्रा॰ प्रतिवर्ष हो गई है। दुग्ध की प्रतिव्यक्ति उपलब्धता 295 ग्राम प्रतिदिन है जो वैश्विक औसत से अधिक है जबकि अंडों की प्रतिव्यक्ति उपलब्धता लगभग 55 अंडे प्रतिवर्ष है। फलों की प्रतिव्यक्ति उपलब्धता वर्ष 2001-02 में 114 ग्राम प्रतिदिन से बढ़कर वर्ष 2011-12 में 172 ग्राम प्रतिदिन हो गई जबकि सब्जियों की प्रतिव्यक्ति उपलब्धता इसी अवधि के दौरान 236 ग्राम प्रतिदिन से बढ़कर 350 ग्राम प्रतिदिन हो गई।

कुपोषण को समाप्त करने के लिए प्रति व्यक्ति उपलब्धता स्तरों में पर्याप्त सुधार अपेक्षित है।

8.64 ये कार्य निष्पादन अधिक महत्वपूर्ण हैं क्योंकि कृषि क्षेत्र ही आबादी के अल्प आय और दुर्बल वर्गों के एक विशाल वर्ग के लिए आजीविका और खाद्य सुरक्षा का स्रोत है। पोषण की स्थिति में सुधार करने के लिए सूक्ष्म पोषक तत्वों जैसे लौह युक्त बाजरा, प्रोटीन युक्त मक्का और जिंक युक्त गेहूं, में नई फसल किस्मों की शुरूआत करने के लिए न्यूट्री-फार्म संबंधी एक प्रायोगिक कार्यक्रम को कुपोषण से सर्वाधिक प्रभावित नौ राज्यों के 100 जिलों में वर्ष 2013-14 आरकेवीवाई की एक उप-स्कीम के रूप में कार्यान्वित किया गया था जिसकी परिव्यय 200 करोड़ रुपए है।

कृषि निर्यात

8.65 हाल ही के वर्षों में चावल, मक्का, कपास और ग्वार गम जैसे उत्पादों ने परंपरागत कृषि निर्यातों का स्थान ले लिया है। कृषि निर्यात (समुद्री सहित) 2013-14 में 5.1% बढ़ा जबकि 2012-13 में यह 37292 मिलियन अमरीकी डालर था, जिसमें से उसी अवधि में सिर्फ समुद्री उत्पाद का निर्यात 44.8 प्रतिशत बढ़ा।

8.66 चूंकि 2011 में चावल में निर्यात के आरंभ में कुल निर्यात में इसकी हिस्सेदारी 2010-11 में 2575 मिलियन अमरीका डालर से बढ़कर 2013-14 में 7742 मिलियन अमरीकी डालर हो गयी। कृषि निर्यात में 2008-09 के बीच कुल डेयरी कुक्कुट मीट और समुद्री उत्पादों की हिस्सेदारी दोगुनी हो गई है (रेखचित्र 8.5)।

कृषि निर्यात में 2008-09 की तुलना में 2013-14 में पर्याप्त वृद्धि

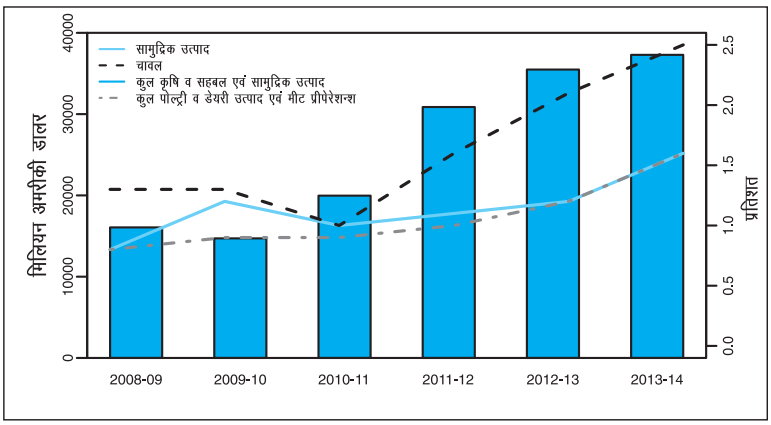

आकृति 8.5 : कृषि निर्यात 2008-09 से 2013-14 के प्रतिशत के रूप में कुल कृषि निर्यात और चावल का निर्यात कुल कुक्कुट और डेयरी उत्पादों व प्रीपेरेशन्श।

स्रोत: डीजीसीआईएस

टिप्पणी: *इसमें कृषि और सहबद्ध व समुद्री उत्पाद शामिल हैं।

खाद्य प्रबंधन

8.67 खाद्य प्रबंधन की नीति का प्रमुख उद्देश्य खाद्यान्नों की समयोचित एवं दक्ष अधिप्राप्ति और वितरण के माध्यम से विशेष रूप से दुर्बल वर्ग के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इसमें किसानों से लाभकारी मूल्यों पर खाद्यान्नों की अधिाप्राप्ति, बफर स्टॉक का निर्माण एवं अनुरक्षण, भंडारण, खाद्यान्नों का सस्ती कीमतों पर उपभोक्ताओं तक पहुंचाना एवं वितरण करना और खाद्यान्नों की कीमतों को स्थिर रखना शामिल है। इसमें एमएसपी और केंद्रीय निर्गम मूल्य (सीआईपी) मूल्य इन्स्ट्रूमेंट्स का प्रयोग किया जाता है।

अधिप्राप्ति

8.68 अन्य केन्द्रीय और राज्यीय एजेंसियों के साथ-साथ भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) नोडल एजेंसी है जो खाद्यान्नों की खुली खरीद, वितरण और भंडारण करता है। राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नेफेड), राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ (एनसीसीएफ), सीडब्ल्यूसी और एसएफसी वे केन्द्रीय नोडल एजेंसियां हैं जो मूल्य समर्थन स्कीम (पीएसएस) के तहत तिलहन और दालों की खरीद तक करती हैं जब इन वस्तुओं की बाजार दरें एमएसपी से नीचे गिर जाती हैं। तथापि चावल और गेहूं के लिए ये अधिप्राप्ति आपरेशन अत्यधिक सफल पाए गए हैं; वह भी महज कुछ राज्यों जैसे पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में।

खरीद नीति केवल चावल व गेहूं के लिए और केवल कुछ राज्यों में ही प्रभावी है।

8.69 अधिप्राप्ति एवं सार्वजनिक वितरण (पीडीएस) में दक्षता बढ़ाने और स्थानीय किसानों को एमएसपी का लाभ प्रदान करने के लिए कुछ राज्य सरकारों द्वारा विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति स्कीम (डीसीपी) धान के लिए अपनाई गई है: पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, ओडिशा, तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटक, केरल और बिहार; 10 जिलों में केएमएस 2013-14 में आंध्र प्रदेश। गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार ने गेहूं के लिए डीसीपी को अपनाया है और राजस्थान ने आरएमएस को 2013-14 से केवल अलवर जिले में अपनाया है।

भारतीय खाद्य निगम के लिए खाद्यान्नों की आर्थिक लागत

8.70 खाद्यान्नों की आर्थिक लागत जिसमें एमएसपी (और केन्द्रीय बोनस, यदि प्रयोज्य हो), अधिप्राप्ति संबंधी आकस्मिक व्यय और वितरण की लागत शामिल है, पिछले कुछ वर्षों में काफी अधिक बढ़ गई है। यह वृद्धि न केवल एमएसपी में वृद्धि अपितु अत्यधिक अधिप्राप्ति और आकस्मिक व्यय के कारण हुई है: इस प्रकार यह दर्शाता है कि भारतीय खाद्य निगम को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है (रेखाचित्र 8.6)।

भारतीय खाद्य निगम के कार्य बड़े पैमाने की किफायतों से प्रभावित हैं।

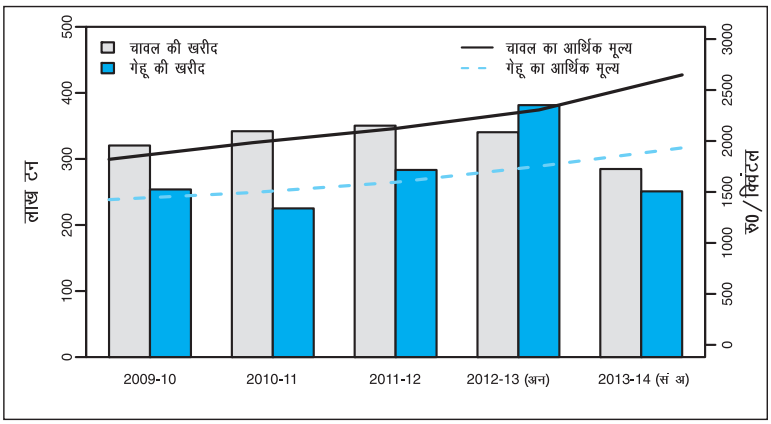

आकृति 8.6 : चावल व गेहूं की खरीद व आर्थिक मूल्य 2009-10 से 2013-14

स्रोत : खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग (डीएफपीडी)
नोट : इसमें कृषि और सहबद्ध व समुद्री उत्पाद शामिल हैं।

8.71 अत्यधिक अधिप्राप्ति करने से भंडारण करना पड़ता है जो बफर मानदंडों (सारणी 8.10) से अधिक हो जाता है जिसे एफसीआई को अगले वर्ष के स्टॉक में शामिल करना पड़ता है। भंडारों का अव-इष्टतम प्रबंधन किए जाने से आर्थिक संसाधनों का अपव्यय होता है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (बॉक्स 8.5) के पारित हो जाने से एफसीआई के आपरेशनों को सुप्रवाही बनाए जाने की आवश्यकता है।

खाद्य भंडारों के अव-इष्टतम प्रबंधन के परिणामस्वरूप आर्थिक संसाधनों की बरबादी होती है।

सारणी 8.9 : खाद्यान्न का स्टाक एवं बफर मानक (मिलियन टन)

वस्तु	स्टाक 01 जून के अनुसार		बफर-मानदण्ड	
	2013	2014#	1 अप्रैल के अनुसार	1 जुलाई के अनुसार
चावल	33.31	20.65	14.20	11.80
चावल के संदर्भ में मशीन में न कुटी धान		7.61		
गेहूं	44.39	41.58	7.00	20.10
जोड़	**77.70**	**69.84**	**21.20**	**31.90**

स्रोत : खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग

टिप्पणी: # सितम्बर 2013 से एफसीआई, चावल के संदर्भ में एफसीआई तथा राज्य एजेंसियों के पास चावल तथा मशीन में कुटी धान के पृथक आंकड़े देता है।

भंडारण क्षमता

8.72 खाद्यान्नों के केन्द्रीय स्टॉक के भंडारण के लिए राज्यीय एजेंसियों की भंडारण क्षमता, कवर्ड और कवर एंड प्लिंथ (सीएपी) दोनों, दिनांक 31.12.2012 की स्थिति के अनुसार 34.14 मीट्रिक टन से बढ़कर दिनांक 31.12.2013 की स्थिति के अनुसार 36.68 मीट्रिक टन हो गई। एफसीआई और राज्यीय एजेंसियों की कुल भंडारण क्षमता 74.35 मीट्रिक टन है। 19 राज्यों में 20.4 मीट्रिक टन की कुल क्षमता वाले गोदामों का निर्माण कार्य निजी उद्यमी (पीईजी) स्कीम के तहत अनुमोदित किया गया। वर्ष 2013-14 के अंत तक इस स्कीम के तहत 12.00 मीट्रिक टन की क्षमता वाले गोदामों का निर्माण किया जा चुका था जिससे कवर्ड गोदाम के स्थान की कमी को कुछ हर तक पूरा कर लिया जाएगा।

बॉक्स 8.5 : राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए)

सस्ती कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में अच्छी गुणता के भोजन तक पहुंच सुनिश्चित करके खाद्य एवं पोषाहार सुरक्षा प्रदान किए जाने के उद्देश्य से 10 सितम्बर, 2013 को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अधिसूचित किया गया था। इस अधिनियम में 75% ग्रामीण आबादी और 50% शहरी आबादी को लाभान्वित किए जाने का प्रावधान है। इसमें प्राथमिकता प्राप्त परिवारों के लिए प्रति व्यक्ति 5 किग्रा खाद्यान्न और अंत्योदय अन्न योजना के तहत परिवारों के लिए 3 रुपए प्रति किग्रा चावल, 2 रुपए प्रति किग्रा गेहूं और 1 रुपए प्रति किग्रा मोटे अनाज की आर्थिक सहायता प्राप्त कीमतों पर प्रत्येक परिवार 35 किग्रा खाद्यान्नों का हकदार है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियिम के पात्र परिवारों की पहचान का कार्य जुलाई, 2014 तक पूरा करना है। अभी तक 11 राज्यों अर्थात् राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, चंडीगढ़ और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को कार्यान्वित कर दिया है और इन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को खाद्यान्नों का मासिक संशोधित टीपीडीएस आबंटन कर दिया गया है। पिछले मानदंडों के अनुसार शेष राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को टीपीडीएस के तहत आबंटन कर दिया गया है।

इस अधिनियम में महिलाओं और बच्चों को पोषाहार संबंधी सहायता दिए जाने पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। गर्भवती महिलाएं और गर्भावस्था के दौरान तथा बच्चे का जन्म देने के पश्चात् 6 माह तक स्तनपान कराने वाली माताएं कम से कम 6000 रुपए का मातृत्व लाभ प्राप्त करने की भी हकदार होंगी। निर्धारित पोषाहार मानकों के अनुसार, 14 वर्ष तक की आयु के बच्चे पौष्टिक आहार अथवा राशन घर ले जाने के हकदार होंगे। अधिकृत खाद्यान्न अथवा आहार की आपूर्ति न हो पाने की स्थिति में लाभार्थी खाद्य सुरक्षा भत्ता प्राप्त करेंगे। इस अधिनियम में जिला और राज्य स्तरों पर शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना किए जाने के लिए भी प्रावधान हैं। पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए इस अधिनियम मे अलग से प्रावधान किए गए हैं। इस अधिनियम में टीपीडीएस में सुधार के उपाय भी दिए गए हैं जो केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा किए जाएंगे। इन सुधारों में, अन्य बातों के साथ-साथ, खाद्यान्नों को टीपीडीएस दुकानों तक पहुंचाया जाना, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी उपकरणों के प्रयोग और विगत कुछ समय में टीपीडीएस के तहत वितरित वस्तुओं का विविधिकरण शामिल है। इस अधिनियम के प्रावधानों के आधार पर, टीपीडीएस और अन्य स्कीमों के लिए खाद्यान्नों की आवश्यकता 614.3 लाख टन आंकी गई है। वर्ष 2008-09 से 2012-13 के दौरान गेहूं और चावल की औसत वार्षिक अधिप्राप्ति 617.8 लाख टन अर्थात् औसत वार्षिक उत्पादन का 33.2% रही है। इस अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए अनुमानित वार्षिक खाद्य आर्थिक सहायता 2014-15 की लागतों पर लगभग 1,31,066 करोड़ रुपए है।

स्रोत: खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग

खाद्यान्नों का आबंटन और खरीद

8.73 एनएफएस का कार्यान्वयन हो जाने से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीडीपीएस) के तहत व्याप्ति 36 प्रतिशत बढ़कर आबादी की लगभग दो-तिहाई (बॉक्स 8.5) हो गई है। वर्ष 2013-14 के दौरान, 44.5 मीट्रिक टन खाद्यान्नों का आबंटन टीपीडीएस के तहत किया गया था जबकि अन्य कल्याणकारी स्कीमों (ओडब्ल्यूएस) के तहत 5.0 मीट्रिक टन खाद्यान्नों का आबंटन किया गया था। खुले बाजार में कीमतों को नियंत्रित करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अतिरिक्त आबंटन, अधिशेष खाद्यान्नों की खरीद के लिए किया गया था। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सितंबर, 2013 में 50 लाख टन खाद्यान्नों का आबंटन बीपीएल के निर्गम मूल्य पर अतिरिक्त बीपीएल परिवारों को 31 मार्च, 2014 तक किए जाने के लिए किया गया था। इसके अतिरिक्त, 14.58 लाख टन खाद्यान्नों का आबंटन राज्यों को त्यौहारों, आपदा राहत आदि के लिए किया गया था।

प्रापण की आर्थिक लागत और केंद्रीय निर्गम कीमत के बीच में बढ़ते अंतर के कारण रिसाव होता है। मुद्रास्फीतिकारी दबाव तेज होता है और खाद्य सब्सिडी पर व्यय बढ़ जाता है।

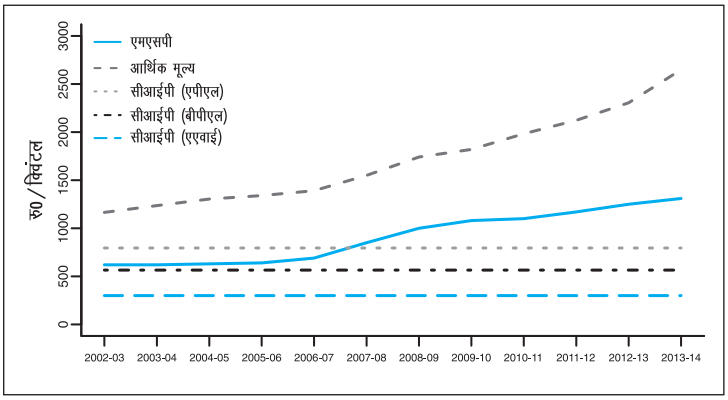

चित्र 8.7 (क) : 2002-03 से 2013-14 तक चावल का एमएसपी, आर्थिक लागत एवं केंद्रीय निर्गम कीमतें (रु. प्रति क्विंटल)

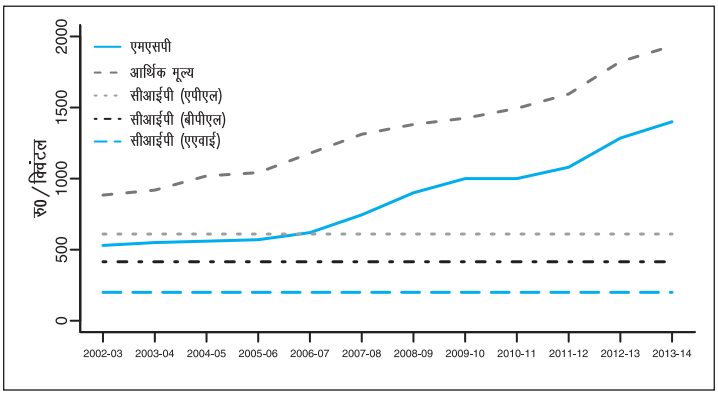

चित्र 8.7 (ख) : 2002-03 से 2013-14 तक गेहूं का एमएसपी, आर्थिक लागत एवं केंद्रीय निर्गम कीमतें (रु. प्रति क्विंटल)

स्रोत: डीएफपीडी

8.74 पीडीएस से संबंधित मूल समस्या सीआईपी का निर्धारण करना है। ऐतिहासिक रूप से सीआईपी बाजार मूल्य के अनुरूप थीं। सीआईपी में वर्ष 2000 से बीपीएल और एएवाई परिवारों के लिए और एपीएल परिवारों के लिए जुलाई, 2002 से अब तक कोई परिवर्तन नहीं किया गया है यद्यपि वर्ष 2002-03 [आंकड़ा 8.7(क) तथा (ख)] की तुलना में आर्थिक लागत वर्ष 2013-14 में 127% से अधिक हो गई हैं। इस अंतर से नुकसान तथा सब्सिडी हुंडी में वृद्धि हुई है और मुद्रास्फीति को बढ़ावा मिला है।

खुला बाजार बिक्री योजना (घरेलू)

8.75 केन्द्र सरकार की ओर से भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) खाद्यान्नों की बाजार आपूर्ति बढ़ाने के लिए समय-समय पर पूर्वनिर्धारित कीमतों/आरक्षित कीमतों पर गेहूं और चावल की खरीद करता है ताकि खुली बाजार कीमतों में नरमी लाई जा सके और अधिशेष स्टॉक कम किया जा सके। खुला बाजार बिक्री योजना (घरेलू) [ओएमएसएस(डी)] के तहत वर्ष 2013-14 के दौरान पंजाब और हरियाणा राज्यों के लिए 1500 रुपए प्रति क्विंटल के आरक्षित मूल्य पर थोक

उपभोक्ताओं/छोटे निजी व्यापारियों को निविदा बिक्री के लिए 95 लाख टन गेहूं और राज्यों/संघ क्षेत्रों/सहकारी समितियों के माध्यम से खुदरा बिक्री के लिए 5 लाख टन गेहूं का और लुधियाना से अन्य राज्यों की राजधानियों तक भाड़े सहित आरक्षित मूल्य पर आबंटन किया गया था। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से खुदरा बिक्री के लिए 5 लाख टन चावल का भी आबंटन किया गया था। इन आबंटनों में से 57.97 लाख टन गेहूं निविदाओं के माध्यम से थोक उपभोक्ताओं/निविदादाताओं को बेच दिया गया था। सामान्यत: खुला बाजार बिक्री योजना की कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है क्योंकि मूल्यों का निर्धारण एमएसपी से अधिक है जो उच्च खाद्य मुद्रा स्फीति की अवधियों के दौरान अनुचित प्रतीत होती है।

खाद्य आर्थिक सहायता

8.76 सरकार गरीबों को आर्थिक सहायता प्राप्त खाद्यान्नों के माध्यम से न्यूनतम पोषाहार दिए जाने के प्रावधान के अपने दायित्व को पूरा करने और विभिन्न राज्यों में कीमत स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए खाद्य सब्सिडी प्रदान करती है। आर्थिक लागत और सीआईपी के बीच का अंतर ही उपभोक्ता आर्थिक सहायता है जिसकी प्रतिपूर्ति भारतीय खाद्य निगम को कर दी जाती है। विगत कुछ वर्षों में खाद्य आर्थिक सहायता (चित्र 8.8) में काफी अधिक वृद्धि हुई है। वर्ष 2013-14 (संशोधित प्राक्कलन) में खाद्य आर्थिक सहायता 92,000 करोड़ रुपए थी।

खाद्य एवं पोषाहार सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं के मद्देनजर बदलते हुए खपत पैटर्न को ध्यान में रखने की आवश्यकता है।

8.77 इसके अतिरिक्त यद्यपि, खाद्य सुरक्षा का केन्द्रीय मुद्दा खाद्यान्न है, फिर भी अन्नों से लेकर प्रोटीन युक्त मदों के लिए की जा रही विभिन्न प्रकार की मांगों पर भी ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। उपभोक्ता व्यय संबंधी भारत में गृहस्थ उपभोक्ता

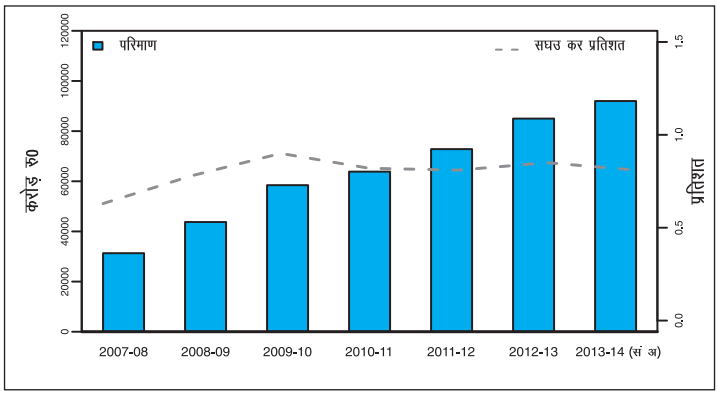

चित्र 8.8 : खाद्य सब्सिडी: परिणाम एवं स.घ.उ. के प्रतिशत के रूप में (वर्तमान कीमतों पर) 2007-08 से 2013-14 (सं.अ.)

स्रोत: डीएफपीडी

व्यय के मुख्य संकेतक, 2011-12 (एनएसएसओ 2013) के अनुसार, वर्ष 1993-94 और 2011-12 की अवधि के बीच अनाजों पर कुल उपभोक्ता व्यय ग्रामीण क्षेत्रों में 24.2% से घटकर 12% और शहरी क्षेत्रों में 14% से घटकर 7.3% रह गया।

संभावनाएं और चुनौतियां

8.78 खाद्य सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में भारतीय कृषि की सतत् मजबूती महत्वपूर्ण है, फिर भी कुछ प्रमुख चिंताएं बरकरार हैं। उत्पादकता की विकास दर वैश्विक मानकों से काफी कम है; 1980 के दशक से हरित क्रान्ति के उपरांत गेहूं व चावल के उत्पादकता स्तरों में गिरावट आई है। एक अन्य मुद्दा गिरती-उर्वरक उपयोग दक्षता के कारण मृदा का ह्रास है। जबकि यूरियो को एनबीएस नीति के दायरे में लाने की जरूरत है, उर्वरक सब्सिडी को सीधे किसानों को हस्तांतरित करने के लिए नंदन नीलेकनी की अध्यक्षता में सब्सिडी के प्रत्यक्ष हस्तांतरण हेतु कार्यदल की संस्तुति पर प्राथमिकता देकर विचार किये जाने की आवश्यकता है।

8.79 घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय विपणन के संबंध में ऐसे सरकारी हस्तक्षेपों की अधिकता जिन्हें विपणन बाजार के निर्माण के लिए प्रयोग किया गया था, वास्तव

में व्यापार में बाधक का कार्य करते हैं। बाजार की विकृतियों को दूर करने से बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धा आएगी एवं कुशलता व विकास प्रोत्साहित होगा और राष्ट्रीय कृषि बाजार बनाने में आसानी होगी। यद्यपि कृषि बाजार एक पूर्ण प्रतियोगी संरचना बनने के लिए पूरी तरह से स्वयं में परिवर्तनशील नहीं है, तो भी प्रतिस्पर्धी बाजार की इस स्थिति को प्राप्त किया जा सकता है। चूंकि कृषि आधारित उद्योगों व सेवाओं की बाद में आवश्यकता होती, अत: खेत से प्लेट की आसान मूल्य श्रृंखला के रूप में समग्र समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है जिसमें निर्यात सहित खेती, थोक बिक्री, गोदाम, लाजिस्टिक्स और प्रसंस्करण शामिल हैं। राष्ट्रीय साझा बाजार स्थापित करने के लिए कुछ सुधार जरूरी है:-

(i) एपीएमसी अधिनियम, ईसी अधिनियम, भूमि किरायदारी अधिनियम व वैधानिक तौर पर सृजित ऐसी संरचनाओं की जांच करना जिनके प्रावधान प्रतिबंधात्मक है और मुक्त व्यापार में बाध डालते हैं।

(ii) वैकल्पिक विपणन उपायों जैसे प्रत्यक्ष विपणन और ठेका खेती का कठोरता से अनुसरण।

(iii) सामान्य वस्तु व सेवा कर (जीएसटी) के तहत कृषि संबद्ध करों के समावेश की जांच।

(iv) गैर टेरिफ व्यापार बाधाओं की बजाय टैरिफ हस्तक्षेपों पर आधारित स्थायी व्यापार नीति बनाना।

(v) कृषि प्रसंस्करण क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा विकसित व शुरू करना। निवेश में बढ़ोतरी के लिए निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करना।

मुख्य चुनौतियों में शामिल हैं– कम उत्पादकता स्तर; उर्वरक उपयोग से गुणवत्ता में गिरावट के कारण मुद्रा की कोटि का निम्नीकरण राष्ट्रीय साझा बाजार के सृजन न होने देने के उत्तरदायी बाजार के निश्चय वर्णन, पुष्कल उत्पादन और भंडारों के वर्तमान संदर्भ में उत्पादन एवं वितरण में सरकार की बदलती भूमिका; उर्वरक एवं खाद्य सब्सिडियों के प्रत्यक्ष अंतरण को चरणबद्ध ढंग से लागू करना।

8.80 कृषि क्षेत्र का सुदृढ़ीकरण गरीबी उपशमन, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने, रोजगार के अवसरों में बढ़ोत्तरी और ग्राम वासियों की आय में बढ़ोत्तरी के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा चूंकि ग्रामीण क्षेत्रों में कुल गृहस्थों में से 10.4% घर की मुखिया महिलाएं है (जनगणना, 2011), कृषि क्षेत्र के सभी पहलुओं में महिलाओं द्वारा निभाई जा रही उत्पादक भूमिका के मद्देनजर नीतियों, पैकेज प्रौद्योगिकियों व सेवाओं का निर्माण करना आवश्यक है। ब्रिक्स (ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका) देशों के अनुभव से पता चलता है कि गरीबी घटाने में कृषि में 1% वृद्धि गैर कृषि क्षेत्रों में होने वाली उतनी ही वृद्धि की तुलना में दोगुना से तीन गुना अधिक प्रभावी है।

8.81 वर्तमान में, भारत एक ओर जहां अत्यधिक खाद्य स्टॉक के चलते आत्मनिर्भर है तो वहीं दूसरी ओर ऊंची खाद्य मुद्रास्फीति दर्ज होने की अजीबो गरीब स्थिति भी बनी हुई है, जो सरकार के एकमात्र सबसे बड़ा खरीदार बनने की वजह से है। बंपर उत्पादन और स्टॉक के इस परिदृश्य में खाद्य उत्पादन व वितरण के सभी पहलुओं से सरकार का क्रमिक रूप से पार्थक्य आवश्यक है।

8.82 चूंकि भारतीय खाद्य निगम को बड़े पैमाने पर आर्थिक हानि हो रही है, सभी राज्यों द्वारा डीसीपी का अपनाया जाना आवश्यक हो गया है। इससे परिवहन लागत, परिवहन हानि व अन्य नुकसान में बचत होगी; और इसी के साथ, खाद्य उपलब्धता बढ़ेगी, खुले बाजार में खाद्य मूल्यों में कमी आएगी व अंतत: खाद्य सब्सिडी कम होगी। चावल, गेहूं की खरीद व वितरण पर लगातार जोर जमीनी हकीकत के विपरीत है, जो उपभोक्ताओं के परिवर्तित हो रहे पसंद संबंधी प्रकार्यों को दर्शाती है। प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण प्रणाली अथवा खाद्य स्टांप से हमारी खाद्य नीति लोगों की आवश्यकताओं के अनुरूप होगी, साथ ही इससे वित्तीय घाटे में कमी भी आएगी।

8.83 इसका सकारात्मक पक्ष यह है कि एल निनों के संबंध में चेतावनी का कोई कारण नहीं है क्योंकि भारत में खाद्यान्न उपलब्धता की स्थिति काफी अच्छी है और घरेलू उत्पादन में रिकार्ड कायम करने के साथ-साथ केंद्रीय पूल में काफी अधिक स्टॉक है। खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) ने जून 2014 के अपने अनाज आपूर्ति विभाग सार में 2014-15 के लिए उपयोग हेतु खाद्यान्नों के विशाल स्टॉक व स्थिर मूल्य अनुपात के संतोषजनक वैश्विक परिदृश्य का पूर्वानुमान लगाया है।

अलनिनों प्रभाव की वजह से भय का कोई कारण प्रतीत नहीं होता क्योंकि भारत की स्थिति उल्लेखनीय घरेलू उत्पादन एवं केंद्रीय पूल में भारी स्टाक होने के साथ खाद्यान्न उपलब्धता में खूब अच्छी है।